

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2012—पौष 7, शक 1934

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. ई-1-464-2011-5-एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982), सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम को आवंटन वर्ष 1982 के भाप्रसे अधिकारियों के प्रमुख सचिव ग्रेड में पदोन्नति की उपयुक्तता के लिये दिनांक 14 फरवरी, 2007 को संपन्न छानबीन समिति की बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के क्रम में आदेश जारी होने की तिथि से प्रमुख सचिव ग्रेड में पदोन्नत करता है.

(2) यह पदोन्नति श्री मोहन्ती द्वारा उनके विरुद्ध राज्य शासन द्वारा आरोप-पत्र जारी किये जाने और विभागीय जांच संस्थित करने के विरुद्ध केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 267/2010 पर अधिकरण के अंतिम निर्णय, विभागीय जांच के अंतिम निर्णय, किसी अन्य न्यायालय एवं राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अपराध क्रमांक 25/2004 के संदर्भ में राज्य शासन द्वारा दिनांक 28 जून 2011 को भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजे गए प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा भविष्य में लिए जाने वाले अंतिम निर्णयों के अध्यधीन रहेगी.

(3) पदोन्नति उपरान्त श्री एस. आर. मोहन्ती, भाप्रसे (1982) को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि. क. अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार) पदस्थ किया जाता है.

4317

(4) उपरोक्तानुसार श्री एस. आर. मोहनती द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भाप्रसे (वेतन) नियमावली, 2007 के नियम 9 के अन्तर्गत वि. क. अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों की अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. परशुराम, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 1(ए)40-2003-ब-2-दो.—श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, (1996) उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम को दिनांक 17 से 28 दिसम्बर 2012 तक बारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करते हुये, राज्य शासन द्वारा खण्ड वर्ष 2010-13 के प्रथम ब्लाक वर्ष 2010-11 के विस्तार वर्ष 2012 में गृह नगर यात्रा के बदले में भारत भ्रमण यात्रा की पात्रता के तहत परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ “अहमदाबाद (गुजरात)” की अवकाश यात्रा पर जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

1.	श्री एस. के. सक्सेना	—	स्वयं
2.	श्रीमती मीनाक्षी सक्सेना	—	पत्नी
3.	श्री मोहित सक्सेना	—	पुत्र
4.	श्री शोमित सक्सेना	—	पुत्र

(2) उक्त यात्रा हेतु श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को दस दिवस के अवकाश नगदीकरण/समर्पण की पात्रता होगी एवं नगदीकृत दिवस इनके अर्जित अवकाश खाते से घटाये जायेंगे।

(3) उक्त अवकाश अवधि में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम का कार्य डॉ. रमन सिंह, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रतलाम द्वारा अतिरिक्त रूप से, अपने कार्य के साथ-साथ, संपादित किया जायेगा।

(4) अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(5) श्री एस. के. सक्सेना उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज, रतलाम का कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (3) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(6) अवकाशकाल में श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एस. के. सक्सेना, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-1 (ए) 154-93-ब-2-दो.—श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 दिसम्बर 2012 से 5 जनवरी 2013 तक, कुल बीस दिवस का अर्जित अवकाश, दिनांक 15, 16 दिसम्बर 2012 एवं 6 जनवरी 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य श्री एस. के. पाण्डे, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्तमान कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इंद्रनील शंकर दाणी, अपर मुख्य सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-6-7-2011-अट्टावन.—भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग के पत्र क्रमांक 13011-15-99-क्रेडिट-2, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनान्तर्गत मौसम रबी 2012-13 के लिये

संलग्न सूची अनुसार आलू तथा प्याज फसलों के लिये जिला/ तहसील स्तर पर राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. आर. काटवाले, अवर सचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13
मौसम रबी हेतु प्रस्तावित (क्षेत्र) तहसीलें

फसल-आलू

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
1	शाजापुर	1. शाजापुर 2. गुलाना 3. मो. बड़ोदिया
2	देवास	4. देवास 5. हाटपिपल्या 6. सोनकच्छ
3.	इन्दौर	7. इन्दौर 8. महु 9. सांवेर 10. देपालपुर
4.	सिंगरौली	11. सिंगरौली
5.	सागर	12. सागर
6.	उज्जैन	13. उज्जैन 14. तराना
7.	धार	15. धार

फसल-प्याज

स. क्र. (1)	जिला (2)	तहसील (3)
1	खण्डवा	1. पंधाना 2. खण्डवा
2	सागर	3. सागर
3	भोपाल	4. हुजूर
4	शाजापुर	5. शुजालपुर 6. गुलाना 7. शाजापुर
5	देवास	8. देवास 9. बागली
6	उज्जैन	10. उज्जैन

आयुक्त सह-संचालक,
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 4-1-2002-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 14 अगस्त 2002 के अनुक्रम में, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 के अधीन इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 मार्च 2002 द्वारा गठित कुटुम्ब न्यायालय में मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम-3(3) के अंतर्गत उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कुटुम्ब न्यायालय में उनके कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने अथवा अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने (जो भी पहले हो) तक सारणी में वर्णित स्थान पर नियुक्त करता है.

उच्च न्यायिक अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ता का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम-3(3) के अंतर्गत होगा :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना एवं कुटुम्ब न्यायालय का मुख्यालय नाम
(1)	(2)	(3)
1	श्री जगदीश प्रसाद माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. 17(ई)-49-2009-इक्कीस-ब(एक).—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17-(ई)-49-2009-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 सितम्बर 2010, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक सितम्बर, 2010 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अ.	कुटुम्ब न्यायालय का नाम	मुख्यालय	क्षेत्र जिसकी अधिकारिता तक विस्तार होगा
(1)	(2)	(3)	(4)
"1	कुटुम्ब न्यायालय, टीकमगढ़	टीकमगढ़	राजस्व तहसील टीकमगढ़ की क्षेत्रीय सीमाएं."

No. 17 (E)-49-2009-XXI-B-(1).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Family Court Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, after consultation with the High Court, hereby makes the following amendment in this department's notification No. 17(E)-49-2009-XXI-B(I) dated 3rd September 2010, which was published in the Madhya Pradesh Gazette dated 17th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, for serial Number 1 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

S. No.	Name of Family Court	Head Quarters	Area to which the Jurisdiction shall extend
(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	Family Court Tikamgarh.	Tikamgarh	Territorial limits of Revenue Tehsil, Tikamgarh."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी) 15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री कृष्ण कुमार थापक पुत्र स्व. श्री आर. के. थापक, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के लिये लोक अभियोजक होशंगाबाद नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री कृष्ण कुमार थापक की जन्म तिथि 13 जुलाई 1956 तेरह जुलाई उन्नीस सौ छप्पन है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 13 जुलाई 2018 तेरह जुलाई दो हजार अट्ठारह को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(बी) 29-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री दीपक कुमार कुर्रे पुत्र श्री रघुनाथ कुर्रे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये खण्डवा सत्र खण्ड के खण्डवा राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक खण्डवा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है.

(टीप.—श्री दीपक कुमार कुर्रे की जन्म तिथि 24 फरवरी 1969 चौबीस फरवरी उन्नीस सौ उन्हत्तर है और उनकी आयु 62 वर्ष अवधि दिनांक 24 फरवरी 2031 चौबीस फरवरी दो हजार इकतीस को पूर्ण होगी.)

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

फा. क्र. 1(सी)-36-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री मदन मोहन द्विवेदी, अधिवक्ता को जिला बालाघाट में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

फा. क्र. 1(सी)-37-2012-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो).—राज्य शासन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14 के अनुसार विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम की धारा-15 के अंतर्गत श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता को जिला सीहोर (म.प्र.) में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

उक्त नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी. बिना कोई कारण बताये नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

नियुक्त अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 1(सी)-एट्रोसिटी-इक्कीस-ब(दो), दिनांक 24 अप्रैल 2008 के अनुरूप देय होंगे.

इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या-64-मुख्यशीर्ष-2225-(5171) विशेष न्यायालयों की स्थापना-31-व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां-003-अभिभाषकों को फीस के अंतर्गत विकलनीय होगा.

देयक का भुगतान उक्त शीर्ष से संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एम. चतुर्वेदी, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. डी-15-25-2012-चौदह-3.—

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
म. प्र. शासन,
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.
2. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त,
म. प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
माननीय मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
मंत्रालय, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग,
मंत्रालय, भोपाल.
5. प्रबंध संचालक,
म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
6. प्रबंध संचालक,
म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड)
जहांगीराबाद, भोपाल.
7. प्रबंध संचालक,
म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.
8. क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
भारतीय खाद्य निगम,
चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

विषय.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को समर्थन मूल्य पर प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा उपाजित अधिसूचित कृषि उपज के संदर्भ में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत निर्देश.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (यथा मंडी अधिनियम) की धारा 31 के अंतर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु अनिवार्यता का उल्लेख है तथा अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज को मंडी

प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से हटाये जाने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है.

(2) मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3)(1)(एक) एवं 19 की उपधारा (3)(1)(दो) के अनुसार निर्दिष्ट मंडी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर एक से अधिक बार उद्ग्रहित नहीं की जायेगी.

(3) मंडी अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक (क) (पांच) में प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा केन्द्र शासन या राज्य शासन की प्राधिकृत संस्था से लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने के लिये क्रय की गयी अधिसूचित कृषि उपज पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, का उल्लेख है.

(4) राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि जिन्स क्रय करने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया अन्तर्गत मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को प्राधिकृत संस्था के रूप में नियुक्त किया जाता है.

(5) राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के क्रय का कार्य प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को अपना एजेन्ट नियुक्त कर किया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र की संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के प्रावधान अनुसार लायसेंस प्राप्त कर उपाजित का यह कार्य सम्पादित करती है.

(6) वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज का उपाजित का कार्य संपादित होता है, जिनके द्वारा उपाजित स्कंध को राज्य सरकार की संस्था यथा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को हस्तांतरण कर दिया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा उपाजित कृषि उपज के स्कंध को सेन्ट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया जाता है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लोक वितरण पद्धति अंतर्गत वितरण हेतु उचित मूल्य के दुकानदारों को या ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत नीलामी के माध्यम से इसे बेचा जाता है. प्रकरण अंतर्गत प्राधिकृत शासकीय संस्थाओं के द्वारा उपाजित अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान संबंधित मंडियों को किया गया है परन्तु उपाजित स्कंध को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की संस्था को हस्तांतरण करते समय अनुज्ञापत्र की प्राप्ति नहीं की गई है. इस कारण विशेषकर जब ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत अधिसूचित

कृषि जिन्स का विक्रय होता है तो संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी फीस भुगतान का सत्यापन न कर पाने से उपज क्रेता को अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहां यह भी लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा मंडी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार हेतु लायसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया है।

(7) उपरोक्त पैरा-6 में उल्लेखित स्थिति पर मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज उपार्जन का कार्यक्रम अति वृहद होता है जिसे मानसून आदि को दृष्टिगत रखते हुए एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना भी अनिवार्य होता है। उपार्जन कार्यक्रम में चूंकि प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियां एवं विभाग सहभागी होकर कार्य करते हैं, अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) तथा मंडी समितियों की उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधान अनुसार उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन, भण्डारण, स्कंध स्थानांतरण आदि के लिये अनुज्ञापत्र प्राप्ति की जाना व्यवहारिक नहीं हो पाता है।

(8) चूंकि समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज का उपार्जन केन्द्र सरकार के निर्देशों राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता है और इस पर देय मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संस्थाओं द्वारा एकल बिन्दु पर प्राप्त हो रहा है परन्तु उपरोक्त उल्लेख अनुसार अन्य प्रक्रियाओं के पालन में ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि मंडी अधिनियम की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्राधिकृत संस्थाओं हेतु सरल और सहज बनाया जाये।

(9) अतः मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को यह निर्देशित किया जाता है कि—

9(अ).—केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज क्रय किये जाने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी को या इनके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 एवं 32 अन्तर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस प्राप्त करना होगा परन्तु वे प्रतिभूतियों से मुक्त होगी।

9(ब).—समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय उपरान्त भण्डारण हेतु परिवहन, हस्तांतरण/स्थानांतरण हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था, एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक संबंधित मंडी को प्रत्येक माह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि जिसमें संबंधित मंडी के कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र अवधि में उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सीवार कितनी मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का उपार्जन किया गया, उपार्जित कृषि उपज का मूल्य तथा उस पर देय मंडी फीस, निराश्रित शुल्क एवं भुगतान की गई मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क का विवरण अनिवार्यतः अंकित होगा। इस प्रमाण-पत्र को कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र के रूप में मान्य किया जायेगा और मंडी फीस के भुगतान एवं स्कंध के परिवहन, प्राप्ति एवं हस्तांतरण हेतु यह प्रमाण रूप में मान्य होगा तथा इसके लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा पृथक् से मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौ अनुसार अनुज्ञापत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी।

9(स).—यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी अधिसूचित कृषि उपज का राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ. एम. एस. एस.) में विक्रय किया जाता है तो संबंधित मंडी समिति को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रेषित रिलीज ऑर्डर (मूलप्रति) में यह प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा कि संबंधित अधिसूचित कृषि उपज का किस विपणन वर्ष में प्रदेश में उपार्जन हुआ है तथा इस पर निर्धारित मंडी फीस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा उपार्जन हेतु प्राधिकृत किस संस्था के द्वारा किया गया है। इस रिलीज ऑर्डर को मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र मान्य करते हुए संबंधित कृषि उपज मंडी समिति जिसे यह प्रेषित किया गया है, के द्वारा उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौ में अनुज्ञापत्र जारी किया जायेगा।

उपरोक्त निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 तथा रबी विपणन वर्ष 2010-11 से आरम्भ होते हुए आगामी वर्षों में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के लिये लागू होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के त्रिपाठी, उपसचिव।

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-11-14-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-वितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भोपाल	हुजूर	नगर निगम कार्यालय हेड ऑफिस बना है	सदर मंजिल रखरखाव	1839/1326	7.72 एकड़	नगर निगम के कब्जे में	नहीं है

क्र. एफ-11-16-2012-तीस.—राज्य शासन की यह राय है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को विनष्ट किये जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने, परिवर्तित किये जाने, विरूपित किये जाने, हटाये जाने, तितर-बितर किये जाने या उनका अपक्षय होने से संरक्षित करना आवश्यक है.

(2) अतएव, मध्यप्रदेश एन्शीयेन्ट मान्युमेन्ट्स एण्ड आर्क्योलॉजीकल साईट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट, 1964 (क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा दो माह पश्चात् उक्त प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करने के अपने आशय की सूचना देता है.

(3) किसी भी ऐसा आपत्ति पर, जो इस संबंध में उक्त प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष में हित रखने वाले किसी व्यक्ति से इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से एक माह की कालावधि समाप्त होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य शासन द्वारा विचार किया जाएगा :—

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	स्थल	स्मारक का नाम	राजस्व खण्ड क्रमांक जिसे संरक्षण में सम्मिलित करना है	क्षेत्रफल	स्वामित्व	धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
मध्यप्रदेश	भोपाल	हुजूर	ईदगाह हिल्स	बेनजीर बिल्डिंग	77	3.13 एकड़	म. प्र. शासन नजूल भूमि	नहीं

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद कटेल, अपर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-25-63-2010-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 25-15-90-दस-3, दिनांक 30 सितम्बर 1992 में आंशिक संशोधन करते हुये, बालाघाट वन वृत्त के उत्तर/दक्षिण/पश्चिम उत्पादन वनमंडलों में से पश्चिम उत्पादन वन मंडल बालाघाट को समाप्त कर उत्पादन वनमंडलों का पुनर्गठन निम्नानुसार किया जाता है :—

क्र.	वन वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन उप वनमंडल के नाम (मुख्यालय)	उत्पादन परिक्षेत्रों एवं काष्ठगार का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन उप वन मंडलों की सीमाओं का विवरण	उत्पादन वनमंडलों की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	बालाघाट	बालाघाट	1. उत्तर उत्पादन बालाघाट (बालाघाट)	1. उकवा उत्पादन (बालाघाट)	1. दक्षिण लामता (लामता) 2. उत्तर लामता (लामता) 3. उकवा (उकवा) 4. उकवा डिपो (उकवा) 5. लामता डिपो (लामता)	उत्तर—वन विकास निगम लामता परियोजना बालाघाट की सीमा. पूर्व—बैहर उत्पादन उप वन मंडल की पश्चिमी सीमा. दक्षिण—दक्षिण उत्पादन वन मण्डल की उत्तरी सीमा एवं बैनगंगा नदी. पश्चिम—बैनगंगा नदी एवं लामता परियोजना वनमंडल बालाघाट की सीमा.	उत्तर—मंडला जिला कान्हा नेशनल पार्क एवं बफर जोन वन मंडल की सीमा. पूर्व—छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. दक्षिण—दक्षिण बालाघाट उत्पादन वनमंडल की उत्तरी सीमा. पश्चिम—दक्षिण बालाघाट उत्पादन वनमंडल की पूर्वी सीमा एवं सिवनी जिले की सीमा.
			2. बैहर उत्पादन (बैहर)	1. पूर्व बैहर (बैहर) 2. पश्चिम बैहर (बैहर) 3. बिरसा सालेटेकरी (बिरसा) 4. बैहर डिपो (बैहर)	उत्तर—वन विकास निगम लामता परियोजना बालाघाट, मंडला जिला कान्हा नेशनल पार्क एवं बफर जोन वनमंडल की सीमा. पूर्व—छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. दक्षिण—उकवा उप वन मण्डल उत्पादन एवं लांजी उप वन मंडल उत्पादन की उत्तरी सीमा. पश्चिम—उकवा उप वनमंडल उत्पादन एवं दक्षिण उत्पादन पूर्वी सीमा.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			2. दक्षिण उत्पादन वन मंडल बालाघाट (बालाघाट)	1. बालाघाट (बालाघाट)	1. बालाघाट (बालाघाट) 2. लौंगूर (लौंगूर) 3. वारासिवनी (वारासिवनी) 4. गर्गा डिपो (गर्गा)	उत्तर—उकवा उत्पादन उप वन मंडल की दक्षिण सीमा. पूर्व—उकवा उत्पादन उप वन मंडल एवं बैहर उत्पादन उप वन मंडल बालाघाट की पश्चिमी सीमा. दक्षिण—किरनापुर उत्पादन उप वन मंडल की उत्तरी सीमा एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा. पश्चिम—सिवनी जिले की दक्षिण पूर्वी सीमा.	उत्तर—सिवनी जिले एवं उत्तर उत्पादन वन मंडल बालाघाट की दक्षिणी सीमा. पूर्व—छत्तीसगढ़ राज्य एवं उत्तर बालाघाट उत्पादन वन मंडल की दक्षिण पश्चिमी सीमाएं. दक्षिण—महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमा. पश्चिम.—सिवनी जिला की पूर्वी सीमा.
				2. लांजी (लांजी)	1. किरनापुर (किरनापुर) 2. हट्टा (हट्टा) 3. पूर्व लांजी (लांजी) 4. पश्चिम लांजी (लांजी) 5. लांजी डिपो (लांजी)	उत्तर—बालाघाट उत्पादन उप वन मंडल की दक्षिण सीमा. पूर्व—उकवा उत्पादन उप वन मंडल की पश्चिमी सीमा एवं छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा. दक्षिण—बाघ नदी एवं महाराष्ट्र राज्य की सीमा. पश्चिम—बालाघाट उत्पादन उप वन मंडल की पूर्वी सीमा.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2012

क्र. एफ-25-63-2010-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-63-2010-दस-3, दिनांक 20 दिसम्बर 2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 20th December 2012

No. F 25-63-2010-X-3.—In exercise of the Powers vested with Government of Madhya Pradesh the West production Division Balaghat is hereby abolished and Production Divisions of Balaghat forest circle are reorganised by partially amending the notification No. F 25-15-90-X-3, dated 30th September 1992 of Madhya Pradesh Government forest department as under :—

S. No.	Name of Forest Circle	District	Name of Production Forest Division (Head Quarter)	Name of Production sub Division (Head Quarter)	Included Production Ranges & Depot (Head Quarter)	Descriptions of Boundaries of Productions Sub Divisions	Descriptions of Boundaries of Productions Divisions
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Balaghat	Balaghat	North Production Division Balaghat (Balaghat)	1. Ukwa Production (Balaghat)	1. South Lamta (Lamta) 2. North Lamta (Lamta) 3. Ukwa (Lamta) 4. Ukwa Depot (Ukwa) 5. Lamta Depot (Lamta)	North —Boundary of Van Vikas Nigam Lamta Project Balaghat. East —Western boundary of Baihar Production sub-division & Western boundary of South production division. South —Northern boundary of south production division & Vainganga river. West —Vainganga river & boundary of Lamta project division.	North —Mandla district boundary of kanha national park & buffer zone division Mandla. East —Boundary of Chhattisgarh State. South —Northern boundary of south production division Balaghat. West —Eastern boundary of south production division Balaghat & boundary of Seoni district.
			2. Baihar (Baihar)	1. East Baihar (Baihar) 2. West Baihar (Baihar) 3. Birsa Saletakari (Birsa) 4. Baihar Depot (Baihar)	1. East Baihar (Baihar) 2. West Baihar (Baihar) 3. Birsa Saletakari (Birsa) 4. Baihar Depot (Baihar)	North —Boundary of Van Vikas Nigam Lamta Project division Balaghat Mandla district & Kahana national park buffer zone division. East —Boundary of Chhatisgarh state. South —Northern boundary of Ukwa production sub division and Lanji Production sub division.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						West —Eastern boundary of Ukwa Production sub division.	
	2. South production division Balaghat (Balaghat)	1. Balaghat (Balaghat)	1. Balaghat (Balaghat)	2. Lagur (Lagur)	3. Varaseoni (Varaseoni)	North —Southern boundary of Ukwa production sub division Balaghat.	North —Southern boundary of Seoni district & north production division.
				4. Garra Depot (Garra).		East —Western boundary of Ukwa production sub division & Baihar production sub division Balaghat.	East —South-west boundary of Chhattisgarh state & North production division Balaghat.
						South —Northern boundary of kirnapur production sub division Balaghat & Maharastra state boundary.	South —Northern boundary of Maharastra state.
						West —South-East boundary of Seoni district.	West —Eastern boundary of Seoni district.
	2. Lanji (Lanji)	1. Kirnapur (Kirnapur)	1. Kirnapur (Kirnapur)	2. Hatta (Hatta)	3. East Lanji (Lanji)	North —Southern boundary of Balaghat Production Sub Division Balaghat.	
				4. West Lanji (Lanji)	5. Lanji Depot (Lanji)	East —South-West boundary of Ukwa Production Sub division & Chhattisgarh state.	
						South —Baghanadi & Maharastra state boundary.	
						West —Eastern boundary of Balaghat Production Sub division.	

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
PRASHANT KUMAR, Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल, (मध्यप्रदेश)—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1968.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री दिनेश बैरसिया अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री दिनेश बैरसिया को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री दिनेश बैरसिया द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री दिनेश बैरसिया को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से अभ्यर्थी द्वारा

दिये गये पते पर निवास न करने के कारण, अभ्यर्थी को कारण बताओ नोटिस स्थानीय समाचार पत्र में दिनांक 11 सितम्बर 2012 को प्रकाशित कराके तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री दिनेश बैरसिया से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री दिनेश बैरसिया को नोटिस स्थानीय समाचार पत्र के माध्यम से दिनांक 11 सितम्बर 2012 तामील कराया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 सितम्बर 2012 में लेख किया है कि नोटिस समाचार पत्र में प्रकाशित कराने के उपरान्त श्री बैरसिया दिनांक 12 सितम्बर 2012 को जिला कार्यालय में उपस्थित होकर मूल निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर मय व्हाउचर के प्रस्तुत किया है, किन्तु विलम्ब के लिये कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया है. अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा श्री बैरसिया के विरुद्ध नियमों के अंतर्गत निर्वाचन व्यय लेखा समयावधि में प्रस्तुत न करने के संबंध में कार्यवाही किये जाने की अभिमत प्रस्तुत किया है.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री दिनेश बैरसिया को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामिली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई, किन्तु अभ्यर्थी श्री दिनेश बैरसिया आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री दिनेश बैरसिया द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने में का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री दिनेश बैरसिया को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1969.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री प्रसन्न कुमार जैन अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री प्रसन्न कुमार जैन को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री प्रसन्न कुमार जैन द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री प्रसन्न कुमार जैन को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी किया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस की तामिली दिनांक 15 सितम्बर 2011 को कराई गई. कारण बताओ नोटिस में श्री प्रसन्न कुमार जैन से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति

में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री प्रसन्न कुमार जैन को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामिल कराया गया. नोटिस तामिली उपरान्त अभ्यर्थी से आयोग में प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में कलेक्टर का अभिमत प्राप्त हुआ है कि श्री प्रसन्न कुमार जैन के द्वारा आयोग को प्रेषित पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2011 में लेख किया है कि जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा जमा करा दिया था, किन्तु कार्यालय द्वारा पावती नहीं दी गई इस संबंध में कार्यालयीन द्वारा सूचना पत्र क्रमांक 863 दिनांक 11 जुलाई 2012 को जारी कर जानकारी चाही गई कि जिला निर्वाचन कार्यालय में किस अधिकारी/कर्मचारी को अपना व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है समक्ष में उपस्थित होकर बताएं. श्री प्रसन्न कुमार जैन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री प्रसन्न कुमार जैन को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामिली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई. अभ्यर्थी श्री प्रसन्न कुमार जैन उक्त दिवस को व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए. लेकिन सूचना पत्र की तामिली उपरान्त अभ्यर्थी श्री जैन ने अपना अभ्यावेदन तथा मूल निर्वाचन व्यय लेखे रजि. डाक से आयोग को प्रेषित किये हैं तथा अभ्यर्थी द्वारा अपने अभ्यावेदन में अंकित किया है कि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे समक्ष में उपस्थित नहीं हो सके हैं. लेकिन विलम्ब से व्यय लेखा प्रस्तुत करने एवं स्वास्थ्य खराब होने संबंधी चिकित्सा प्रमाण पत्र अपने अभ्यावेदन के साथ संलग्न प्रेषित नहीं किया है. यहां यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में प्रेषित अभ्यावेदन में अभ्यर्थी श्री प्रसन्न कुमार जैन ने लेख किया है कि व्यय लेखे जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करा दिया था, किन्तु कार्यालय द्वारा पावती नहीं दी गई, इस संबंध में जिला निर्वाचन कार्यालय ने उनसे यह जानकारी चाही कि अभ्यर्थी ने किस अधिकारी/कर्मचारी को अपना व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है समक्ष में उपस्थित होकर बताएं. इस संबंध में अभ्यर्थी श्री प्रसन्न कुमार जैन द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया. अतः दिनांक 15 नवम्बर 2012 को आयोग में प्राप्त मूल निर्वाचन व्यय लेखे से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी ने व्यय लेखे पूर्व में जमा नहीं किये तथा स्वास्थ्य खराब होने के कारण व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं होने संबंधी कोई चिकित्सा प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री प्रसन्न कुमार जैन द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री प्रसन्न कुमार जैन को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1970.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री नफीस अहमद पुत्र हमीद अहमद अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री नफीस अहमद को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला

निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री नफीस अहमद द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री नफीस अहमद को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री नफीस अहमद से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

अभ्यर्थी श्री नफीस अहमद को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. नोटिस तामिली उपरान्त अभ्यर्थी श्री नफीस अहमद द्वारा आयोग में निर्वाचन व्यय लेखे प्रेषित किये गये जो कि आयोग में दिनांक 3 अक्टूबर 2011 को प्राप्त हुए. अभ्यर्थी से प्राप्त उक्त व्यय लेखे के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 8 अगस्त 2012 में लेख है कि “श्री नफीस अहमद द्वारा प्रेषित मूल निर्वाचन व्यय लेखा अनुसार व्हाउचर संलग्न है किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर के संलग्न शपथ पत्र प्रोफार्मा-ग किसी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित नहीं है. उपरोक्त खामियों की पूर्ति कराने के लिये अभ्यर्थी को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 864, दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया, लेकिन श्री नफीस अहमद द्वारा कार्यालय में उपस्थित होकर खामियों की पूर्ति नहीं की गई, न ही कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया.”

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री नफीस अहमद को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामिली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी श्री नफीस अहमद आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया. उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री नफीस अहमद द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री नफीस अहमद पुत्र हनीफ अहमद को

इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश के दिनांक से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निर्दिष्ट (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-
(जी. पी. श्रीवास्तव)
सचिव,
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

क्र. एफ. 67-45-10-तीन-1971.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997” “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)”, दिनांक 6 जून, 1997 में प्रकाशित हुआ है, उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर, 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर के आम निर्वाचन में श्री विकास अग्रवाल (नटराज), अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे. इस नगरपालिका के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32 ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् (दिनांक 16 एवं 17 जनवरी 2010 को शासकीय अवकाश होने से) दिनांक 18 जनवरी 2010 तक श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पास दाखिल करना था, किन्तु जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री विकास अग्रवाल (नटराज) द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 27 अगस्त 2011 को जारी कर उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अशोकनगर के माध्यम से दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में श्री विकास अग्रवाल (नटराज) से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को नोटिस दिनांक 15 सितम्बर 2011 को तामील कराया गया. अतः अभ्यर्थी को दिनांक 30 सितम्बर 2011 तक अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 28 दिसम्बर 2011 के द्वारा लेख किया है कि—“उक्त अभ्यर्थी द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखा और अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है. निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाना उचित होगा.”

विचारोपरान्त आयोग द्वारा अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को दिनांक 6 मार्च 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया. उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 27 फरवरी 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 23 फरवरी 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल (नटराज) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए. सूचना पत्र तामील होने के उपरान्त अभ्यर्थी ने आयोग को इस संबंध में अपना अभ्यावेदन दिनांक 3 मार्च 2012 के संलग्न व्यय लेखा रजिस्टर की छायाप्रति प्रेषित की जाकर, अपने अभ्यावेदन में लेख किया है कि कुछ जरूरी कारण से भोपाल नहीं आ सकता.

अभ्यर्थी से प्राप्त व्यय लेखे की छायाप्रति के संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अशोकनगर से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 8 अगस्त 2012 में लेख है कि—“श्री विकास अग्रवाल (नटराज) द्वारा प्रेषित निर्वाचन व्यय लेखा की छायाप्रति प्रस्तुत की है मूल व्यय लेखा प्रस्तुत करने के संबंध में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 862, दिनांक 11 जुलाई 2012 के द्वारा सूचना पत्र जारी किया गया, अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल द्वारा मूल व्यय लेखा रजिस्टर प्रस्तुत किया गया है. व्यय लेखे में अंकित प्रविष्टि अनुसार व्हाउचर भी संलग्न है, प्रोफार्मा-ग दिनांक 31 जुलाई 2012 द्वारा अभिप्रमाणित है किन्तु निर्वाचन व्यय लेखा विलम्ब से प्रस्तुत करने के संबंध में इस कार्यालय को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया.” अतः उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरपालिका निर्वाचन नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाने संबंधी अपना अभिमत प्रस्तुत किया है.

अतः आयोग द्वारा पुनः विचारोपरान्त अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को दिनांक 7 नवम्बर 2012 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में बुलाया गया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 12 अक्टूबर 2012 के अनुसार अभ्यर्थी को सूचना पत्र की तामीली दिनांक 12 अक्टूबर 2012 को विहित समयावधि में कराई गई है, किन्तु अभ्यर्थी श्री विकास अग्रवाल (नटराज) आयोग कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए। अभ्यर्थी द्वारा आयोग से इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार भी नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि श्री विकास अग्रवाल (नटराज) द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री विकास अग्रवाल (नटराज) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगरपालिका परिषद्, अशोकनगर, जिला अशोकनगर का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

आर. सी. वी. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी

मध्यप्रदेश, भोपाल

(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)

भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 9391-3468-अका-विपप्र-2012 संशोधित अधिसूचना.— राज्य शासन द्वारा विभागीय परीक्षा माह अगस्त, 2012 को प्रश्न-पत्र प्रथम दाण्डिक विधि तथा प्रक्रिया (पुस्तकों सहित-केवल अधिनियम) सम्पन्न हुआ था, की अधिसूचना क्रमांक 7974-3468-अका-विपप्र-2012, दिनांक 15 अक्टूबर 2012 को जारी की गई थी, में इंदौर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी कु. रश्मी गवली, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, अंकित है के स्थान पर अब कु. रेशम गवली, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख, पढ़ा जाए।

क्र. 9387-3465-अका-विपप्र-2012-संशोधित अधिसूचना.— राज्य शासन द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा जो दिनांक 7 अगस्त 2012 को प्रश्नपत्र-प्रथम प्रशासनिक राजस्व विधि तथा प्रक्रिया भाग बी, सी एवं द्वितीय विषय में, सम्पन्न परीक्षा की अधिसूचना क्रमांक 9018-3465-अका. विपप्र-2012 दिनांक 29 नवम्बर 2012 को जारी

की गई थी, में आंशिक संशोधन करते हुए, आदेश क्रमांक एफ 3-54-98-दो ए (3), दिनांक 19 मार्च, 1999 के बिन्दु क्रमांक "5" में दिये गये प्रावधान अनुसार ग्वालियर संभाग से सम्मिलित परीक्षार्थी श्री दयाराम मिश्र, सहायक अधीक्षक, भू-अभिलेख को निम्नस्तर से उत्तीर्ण घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपा पाण्डेय, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी।

कार्यालय, कलेक्टर एवं उपसचिव, जिला
होशंगाबाद, मध्यप्रदेश (जिला दण्डाधिकारी)

होशंगाबाद, दिनांक 6 सितम्बर 2012

पत्र क्र. 12092-सां.लि.-2012.— सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, के पत्र क्रमांक एफ-2 (क)-9-08-बी-3-दो-दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर थानों/चौकियों की सीमाओं के निर्धारण का अधिकार जिला कलेक्टर समिति को दिये गये हैं।

शासन द्वारा देहात थाना-होशंगाबाद के प्रस्ताव को स्वीकृति दिये जाने तथा सचिव, म. प्र. शा. गृह (पुलिस) विभाग द्वारा आदेश क्रमांक एफ-13-78-11-बी-3-दो दिनांक 29 जून 2012 से थाना देहात, होशंगाबाद हेतु पदों की स्वीकृति दिये जाने के फलस्वरूप निम्नलिखित ग्राम देहात थाना, होशंगाबाद में सम्मिलित किये जा रहे हैं :—

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम
(1)	(2)	(1)	(2)
1	मालाखेड़ी	21	उन्दाखेड़ी
2	रायपुर	22	बाईखेड़ी
3	निमसाडिया	23	देशमोहनी
4	जासलपुर	24	बमुरिया
5	बांद्राभान	25	पतलईखुर्द
6	डोंगरवाड़ा	26	पवारखेड़ा
7	ब्यावरा	27.	फेफरताल
8	रोहना	28	टुगारिया
9	पॉजराकलां	29	बुधवाड़ा
10	बन्दुआ	30	हासलपुर
11	रंडाल	31	परदिह
12	बडोदियाकलां	32	अंधियारी
13	पलासडोह	33	देवलाखेड़ी
14	पलासी	34	चन्द्रपुरा
15	रिघोड़ा	35	निटाया
16	खेडला	36.	नौहर
17	कुलामाड़ी	37	बडोदियाखुर्द
18	आगराकलां	38	खोजनपुर
19	पथोडी	39	रसूलिया
20	बम्होरीखुर्द	40	हाउसिंग बोर्ड (होशंगाबाद)

राहुल जैन, कलेक्टर एवं उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 नवम्बर 2012

क्र. क्यू-भू-अर्जन-12-1031.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2)		सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
		नगर या ग्राम	प्रस्तावित क्षेत्रफल	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण	
(1)	(2)	(3)	खसरा नंबर	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(6)	(7)
शिवपुरी	पिछोर	मसूदा	290	0.07	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग शिवपुरी.	बिलरऊ दिनारा पोषक नहर निर्माण हेतु.
			292	0.22		
			448	0.29		
			450	0.05		
			460	0.02		
			498	0.01		
			501	0.27		
			502	0.40		
			506	0.14		
			507	0.36		
			508	0.27		
			524	0.23		
			532	0.55		
			533	0.02		
			535	0.40		
			536	0.23		
537	0.10					
538	0.01					
542/1	0.03					
503	0.01					
			योग	3.68		

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, पीछोर, जिला शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला श्योपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 01-12-13-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्योपुर	विजयपुर	बैंनीपुरा	0.863	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, सबलगढ.	बारदा नाला परियोजना की मुख्य नहर की 1 एल ए माइनर के निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा/प्लान भू-अर्जन अधिकारी, विजयपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ज्ञानेश्वर बी. पाटील, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. 9496-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितवद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 5(क) के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौंसर	ग्राम—ढोकडोह ब. नं.-174 प.ह.नं.-53 रा.नि.मं.-सौंसर.	रकबा 0.036 हेक्टेयर एवं उपरोक्त अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि पर आने वाली संपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	ढोकडोह जलाशय के नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा (म.प्र.) के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), छिन्दवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. भूमि संपादन-2012—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूं। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	उज्जैन	कस्बा उज्जैन	4.370	भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन	जे.एन.एन.यू.आर.एम. अंतर्गत पार्किंग एण्ड एप्रोच टू पार्किंग फ्लाय ओवर हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. 1299-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	चिखल्दा	671.94	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट, परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतरराज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1305-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	खापरखेडा	399.04	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतरराज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 1311-भू-अर्जन-12—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों

को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	कुक्षी	बाजडीखेडा	49.08	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी.	सरदार सरोवर परियोजना (अंतर राज्यीय प्रोजेक्ट) में डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, मान जोबट परियोजना संभाग, कुक्षी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. -वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में इसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	पेरखड़	133.42	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग, कुक्षी, जिला धार.	सरदार सरोवर परियोजना के डूब से प्रभावित होने से.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर जिला धार एवं कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, न.घा.वि.प्रा. मान जोबट संभाग कुक्षी, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 20 नवम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1566-12-पत्र क्र. . . . भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा

अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	इचौल	0.270	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. . . . -12-पत्र-क्र. 1567-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कोरवारा	0.018	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 1613-12-पत्र क्र. . . . भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा लगभग (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	कंदहली	5.677	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि.प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत नागौद शाखा नहर निर्माण हेतु.
		बंदरहा	11.360		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. खरे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 1-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	कुक्सी रैयत	निजी कृषि भूमि 6.83 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	बेड़ियाव	1.11 भूमि एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र. 5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 03-अ-82-2012-2013.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सीवर	0.86 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	भागवानपुरा	1.98 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 04-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	खण्डवा	बलदुआडोंगरी	कृषि भूमि रकबा 0.36 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी. खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बंजारी	3.60 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 05-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	रिछीमाफी	कृषि भूमि रकबा 3.83 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	सेल्दामाल	कृषि भूमि रकबा 1.64 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जलस्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 06-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	गुलगांव रैय्यत	13.51 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व प्लान आदि (1) कार्यालय कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	पुरनी	10.38 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां.	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा.	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 07-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बोरखेड़ाकलॉ	कृषि भूमि रकबा 3.83 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बेढ़ानी	कृषि भूमि रकबा 0.56 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित

व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	बिजौरामाफी	0.74 हे. एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के एफआरएल पूरक के अन्तर्गत डूब में आने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-13, खण्डवा, (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना क्र.-5, खण्डवा में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 09-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चिकटीखाल	कृषि भूमि रकबा 4.01 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.— भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	हरसूद	चारखेड़ा रैयत	निजी कृषि भूमि 10.88 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे व (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग रकबा (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	चांदेल	कृषि भूमि रकबा 9.34 हेक्टेयर एवं उस पर स्थित परिसंपत्तियां	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर एवं अधिकतम जलस्तर पर डूब से प्रभावित कृषि भूमि का अधिग्रहण प्रस्ताव.

नोट.—भूमि का नक्शा व (प्लान) आदि (1) कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, (2) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 13, खण्डवा (म.प्र.), (3) कार्यालय, भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्र. 4 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	सेमरूढ़ रैयत	निजी कृषि भूमि 25.22 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-अ-82-2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	डंठा	निजी कृषि भूमि 0.75 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-अ-82-2012-2013.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	नंदाना	निजी कृषि भूमि 3.92 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-अ-82-2012-2013.— चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खण्डवा	पुनासा	टिटवास	निजी कृषि भूमि 17.27 हेक्टर एवं उस पर स्थित संपत्ति	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-13, खण्डवा	इंदिरा सागर परियोजना के पूर्ण जल स्तर पर डूब से प्रभावित होने के कारण.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 13, खण्डवा एवं कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना, एन.एच.डी.सी., खण्डवा क्रमांक 3 में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. 3516-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	रायपुर कर्चु.	लोंहदवार	3.41	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की लोंहदवार माइनर की सब-माइनर नं. 1 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3518-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	मढ़ी पैपखार	4.03	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की धवैया वितरक नहर की मढ़ी माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3520-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	तिवनी पैपखार	5.56	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की आलमगंज वितरक नहर की माइनर नं. 7, एवं माइनर नं. 5 की सब-माइनर में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3522-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	सूरा कोठार	5.31	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्योटी नहर की धवैया वितरक नहर की सूरा माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 3524-भू-अर्जन-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने के अनुसार इसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का विवरण			धारा 4 की उपधारा (2) प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	धवैया कोठार	0.2	कार्यपालन यंत्री, बाणसागर वितरिका नहर संभाग रीवा (म. प्र.).	बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत आने वाली क्यौंटी नहर की धवैया वितरक नहर की सूरा माइनर नं. 2 में आने वाली भूमि के लिये भूमि तथा उस पर स्थित सम्पत्तियों का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. 5925-क्यू-1-2012-प्र. क्र. 04-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को उस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दसौर	भानपुरा	ढावलामनोहर अंत्रालिया	0.83 1.23	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	ढावलामनोहर तालाब (पूरक प्रकरण).

नोट :—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 13074-75-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	बंदा	16.988	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग . .			16.988		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13076-77-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	उभापान पिपल्या बिजारेल	2.671 15.584	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	जूनापानी तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
कुल . .			18.255		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13078-79-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय

की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	माचलपुर	45.712	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग . .			45.712		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 13080-81-भू-अर्जन-12.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	जीरापुर	डोब	32.945	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	डोब तालाब योजना के बांध निर्माण में भूमि का अर्जन.
योग . .			32.945		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 13082-83-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुरूप सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	गीलाखेड़ी	10.800	उद्योग आयुक्त	औ. क्षेत्र हेतु वाईपास एप्रॉच मार्ग एवं क्षेत्र विस्तार हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 134-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	इकहरा	3.40	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रशीदपुर शाखा की उपशाखा नहर की एम-4 आर माइनर के निर्माण हेतु.
			योग. . 3.40		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 135-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न सूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का नाम
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	ग्वालियर	दुहिया	1.71	कार्यपालन यंत्री, हरसी उच्च स्तरीय नहर संभाग-क्र. 2, ग्वालियर.	हरसी उच्च स्तरीय नहर की उदयपुरा शाखा नहर की रशीदपुर नहर की एम-3 माइनर के निर्माण हेतु.
			योग. . 1.71		

भूमि का नक्शा (प्लान) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 12 अ-82-वर्ष 2011-12-10688.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	आठनेर	बाकुड	1.586	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	बाकुड जलाशय के डूब क्षेत्र से पहुंच मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला बैतूल एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) भैंसदेही के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, भैंसदेही, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

बैतूल, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 2 अ-82-वर्ष 2011-12-11184.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	माली सिलपटी	2.439	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 3 अ-82-वर्ष 11-12-11185.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	गौनापुर	1.173	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 4 अ-82-वर्ष 11-12-11186.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	जामपानी	2.206	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 5 अ-82-वर्ष 11-12-11187.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	सिलपटी	1.085	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 6 अ-82-वर्ष 11-12-11188.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	मौखा माल	1.301	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
- (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर, जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 7 अ-82-वर्ष 11-12-11189.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	हरदू	61.428	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 8 अ-82-वर्ष 11-12-11190.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	मौखा रै.	18.853	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है.

प्र. क्र. 9 अ-82-वर्ष 11-12-11191.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	पौसेरा	2.925	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	मौखा रै. जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 10 अ-82-वर्ष 11-12-11192.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	पारू	1.373	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	देशावाड़ी जलाशय की नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

प्र. क्र. 11 अ-82-वर्ष 11-12-11193.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बैतूल	शाहपुर	देशावाड़ी	43.564	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, क्रमांक 2, बैतूल.	देशावाड़ी जलाशय एवं स्पील चैनल तथा नहर निर्माण हेतु निजी भूमि का अर्जन.

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर के न्यायालय में देखा जा सकता है।
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, बैतूल के कार्यालय में भी देखा जा सकता है।
 (4) उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, शाहपुर जिला बैतूल के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. चन्द्रशेखर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 87-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—दयेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.29 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)

661	1.240	0.33
671	0.360	0.13
618	1.180	0.29
717	0.350	0.02
719	0.610	0.12
617	0.370	0.15
615	0.800	0.02
606	2.120	0.40
607	0.240	0.04
609	0.250	0.13
602	0.360	0.04
603	1.270	0.40
601	0.190	0.05
662	0.600	0.01
653	0.340	0.01
922	2.630	0.13
610	0.660	0.02
936	0.330	0.13
937	0.530	0.15
935	1.190	0.30
939	0.740	0.24
940	0.360	0.02

(1)	(2)	(3)
941	0.700	0.23
950	0.310	0.16
957	0.220	0.04
959	0.220	0.06
961	0.330	0.07
960	1.680	0.25
962	0.640	0.13
728	0.590	0.22
726	0.460	0.17
725	1.050	0.35
734	0.150	0.01
735	0.710	0.05
718	0.600	0.15
608	0.270	0.16
616	0.430	0.16
958	0.440	0.12
948	0.540	0.05
722	1.010	0.25
949	0.250	0.01
669	1.580	0.50
676	1.280	0.01
600	0.410	0.01

योग : 6.29

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की शीतला माता ब्रांच नहर के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 101-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—हीरी			(ग) ग्राम—सोनी		
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.930 हेक्टर.			(घ) लगभग क्षेत्रफल—10.065 हेक्टर.		
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
157	0.940	0.010	106	2.174	0.148
168	-	0.140	259	0.783	0.084
169	0.220	0.070	126	0.261	0.042
170	1.270	0.030	127/1	0.481	0.209
175	0.620	0.130	127/2	0.481	-
176	0.570	0.070	153/1	0.052	0.052
177 मि 1/	0.210	0.170	153/2	0.063	-
1771मि/2	0.570	-	130	0.073	0.011
179	0.570	0.100	134	0.314	0.011
180	0.980	0.030	160	0.418	0.418
234	2.800	0.160	161	0.261	0.084
262	0.400	0.090	212	0.105	0.031
263	0.900	0.030	213	0.094	0.031
264/मि 1	0.920	0.220	221	0.261	0.105
264/मि 2	0.250	-	219	0.115	0.052
265	0.620	0.100	737	3.334	0.220
267	0.480	0.200	739/1	1.505	0.063
269	1.260	0.060	1097	0.763	0.042
366	0.640	0.130	248	0.742	0.011
367	0.570	0.150	249	0.543	0.136
370	1.330	0.040	250	0.334	0.011
		योग : 1.930	250	0.721	0.052
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सिंध परियोजना (द्वितीय चरण) के अन्तर्गत हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-3 एवं एम-4 मायनर के निर्माण हेतु.		254	0.449	0.116
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.		283	0.042	0.031
	ग्वालियर, दिनांक 6 दिसम्बर 2012		284	0.523	0.136
	प्र. क्र. 80-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		1278	0.136	0.021
	अनुसूची		258	0.188	0.063
(1)	भूमि का वर्णन—		275	0.261	0.136
(क)	जिला—ग्वालियर		276	0.700	0.011
(ख)	तहसील—ग्वालियर		282	0.700	0.031
			291	0.428	0.125
			294	1.484	0.241
			300/1	1.014	0.334
			300/2	1.014	-
			300/3	1.421	-
			689	0.303	0.063
			690/2	1.442	0.011
			691/1	1.369	0.168
			691/2	0.063	-
			693/1/क	0.031	0.011

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
697/1	0.199	-	1011/मि./2	0.064	-
-	-	-	1020	0.021	0.011
693/1ख	0.052	-	1021/2	0.282	-
697/2	0.157	0.125	1023/1	0.052	-
693/1 ग	0.021	-	1024	0.010	0.010
697/3	0.146	-	1129/1	0.157	0.026
700/मि.1	1.762	0.073	1023/2	0.397	0.105
700/मि 2	2.200	-	1030/1	0.261	0.021
702	2.623	0.418	1032	0.115	0.011
731	0.157	0.011	1033/1	0.460	0.130
1109/2	0.836	-	1033/2	0.418	-
735/1	0.846	0.251	1105/4	0.418	0.116
735/2	0.836	-	1106/मि/1	0.564	0.272
1099	0.115	0.03	1107/मि/1	-	-
1100	0.072	0.063	1108/मि/1	-	-
741	1.254	0.220	1106/मि/2	-	-
974/1	0.188	0.146	1107/मि/2	0.575	-
974/2	1.202	-	1108/मि/2	-	-
974/6	0.157	-	1109/1/मि 1	0.010	-
974/3	0.418	-	1109/1/मि 2	0.011	-
974/4	0.209	-	1109/1/मि 3	0.010	-
975/5	0.523	-	1109/1/मि 4	0.021	-
991	1.045	0.011	1109/4/ख	1.045	0.157
993	0.052	0.011	1110/1	0.345	0.272
994/4	0.303	-	1111	0.355	0.011
994/1/क	0.261	0.167	1110/2	0.290	-
994/1/ख	0.094	-	1110/3	0.290	-
994/2	0.355	-	1110/4	0.290	-
994/3	0.355	-	1110/5	0.290	-
1001	0.261	0.042	1113	0.637	0.073
1007/1	0.031	0.062	1115	1.119	0.063
1005/मि/1	0.137	0.021	1128/1	0.324	-
1006/1	0.084	-	1128/4	0.167	-
1007/2	0.262	-	1128/2	2.299	0.366
1008	0.157	0.011	1128/5	0.418	-
1005/मि/2	0.010	-	1128/4/क	0.303	-
1006/2	0.418	0.062	1128/4/ख	0.397	-
1009/1	0.293	0.188	1128/6	0.419	-
1010/1	-	-	1129/3	0.314	-
1009/2	0.282	0.025	1128/7	1.254	-
1010/2	-	-	1128/8	0.732	-
1006/3	0.491	-	1129/2	0.261	-
1023/3	1.024	-	1140/1	0.836	0.011
1006/4	0.188	-	1140/2/क	0.491	-
1021/1	0.209	0.105	1141/1	0.690	-
1011/मि./1	0.930	0.011	1146/2/ख	0.836	-

(1)	(2)	(3)	(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—
1140/2/ख	0.491	-	
1141/2	0.690	0.261	
1146/1/क/1	0.617	0.366	
1146/1/क/2	0.679	-	
1146/1/क/3	0.230	-	
1146/1/ख	0.418	-	
1146/2/ग	0.836	-	
1146/2/क	0.167	-	
1171/1	0.314	0.272	
1171/2	0.157	-	
1171/3	2.163	-	
1173	1.055	0.178	
1174	0.146	0.021	
1175	0.679	0.663	
1287/1	1.463	0.241	
1287/2	1.338	-	
1287/3	0.627	-	
1348/1	0.376	-	
1292/1	0.867	0.052	
1292/2	0.471	-	
1294/1	0.637	0.157	
1308/2	0.836	0.220	
1308/3	1.536	-	
1348/2	0.418	0.011	
1349/1/क	0.658	0.407	
1349/2	0.209	-	
1349/1/ख	1.045	-	
1350	0.575	0.084	
1352/1/1	0.251	0.073	
1352/1/2	0.251	-	
1352/2	0.836	-	
1352/3	0.157	-	
1352/4	0.366	-	
1352/5	0.105	-	
1372/1	0.836	0.040	
1372/2	0.136	-	
योग :		10.065	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्च स्तरीय नहर प्रणाली की उदयपुरा ब्रांच की एम-1 एवं एम-2 मायनर के निर्माण हेतु.			
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			
प्र. क्र. 93-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद			

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—ग्वालियर

(ख) तहसील—ग्वालियर

(ग) ग्राम—बडेरा फुटकर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.661 हेक्टर.

सर्वे नं.

कुल रकबा
(हेक्टर में)अर्जित किये जाने
वाला अनुमानित
रकबा (हे. में)

(1)

(2)

(3)

483

0.606

0.011

478

0.637

0.073

479

0.732

0.095

158/1/मिन-2

0.314

0.167

470/2

0.438

0.063

469/1

0.439

0.084

469/2

0.439

-

457

0.366

0.042

424/1

0.784

0.011

424/2 मिन-1

0.387

0.147

424/2 मिन-2

0.397

0.147

422

0.617

0.105

419

0.794

0.084

398/1

0.199

0.063

398/2

0.209

-

399

0.439

0.157

396

0.428

0.011

401

0.366

0.105

78

0.867

0.011

71/1

0.293

0.127

71/2

0.355

-

73

0.909

0.127

74

0.920

0.031

50

0.533

0.095

66

0.909

0.021

49

0.951

0.095

48/1

0.439

0.073

48/2

0.230

-

44

2.279

0.240

31

1.714

0.146

471

1.421

0.167

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
427	2.237	0.178	575	0.390	0.06
394	0.063	0.011	623/2	1.010	0.11
395	0.021	0.010	619	1.71	0.14
93/1	0.449	0.136	621	0.440	0.05
93/2	0.439	-	606	0.85	0.13
93/3	0.439	-	607	0.35	0.04
93/4	0.449	-	608	0.35	0.05
29/1	2.633	0.262	596	0.17	0.05
29/2	0.418	-	592	0.30	0.11
89/1	0.637	0.240	591	0.40	0.02
89/2	0.627	-	571	0.52	0.05
77/1	0.961	0.326	572	0.52	0.09
77/2	0.554	-	574	0.39	0.06
77/3	1.108	-	573/662	0.250	0.07
77/4	0.773	-	573/661	0.240	0.03
कुल रकबा : 3.661			573	0.24	0.01
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की बड़ेरा मायनर के निर्माण हेतु.			560	0.62	0.08
			559	1.22	0.12
			546	0.90	0.19
			547	1.040	0.01
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.			525	0.710	0.03
			524	1.63	0.29
			505	1.600	0.16
			530	0.560	0.01
			504	0.020	0.01
			503	0.690	0.16
			481	1.630	0.05
			482	0.430	0.04
			487	0.46	0.10
			486	0.77	0.14
			449	0.96	0.18
			439	0.47	0.05
			438	0.45	0.09
			437	0.650	0.01
			576/2	0.390	0.01
			413	0.37	0.07
			414	0.22	0.08
			415	0.06	0.01
सर्वे नं.	कुल रकबा	अर्जित किये जाने	416	0.45	0.07
	(हेक्टर में)	वाला अनुमानित	418	0.33	0.07
		रकबा (हे. में)	409	0.21	0.07
(1)	(2)	(3)	369	0.32	0.10
632	0.58	0.10	365	0.74	0.01
633	0.600	0.10	368	0.33	0.01
627	0.35	0.03	380	0.33	0.02
626	0.350	0.10	371	0.62	0.05
			183	0.42	0.02

(1)	(2)	(3)	प्र. क्र. 105-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—																																																																																												
379	0.83	0.15	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—ग्वालियर</p> <p>(ख) तहसील—ग्वालियर</p> <p>(ग) ग्राम—सुनारपुरा</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.463 हेक्टर.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>सर्वे नं.</th> <th>कुल रकबा (हेक्टर में)</th> <th>अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> <th>(3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>464/1</td><td>0.773</td><td>0.105</td></tr> <tr><td>464/2</td><td>0.668</td><td></td></tr> <tr><td>516/1</td><td>0.439</td><td>0.125</td></tr> <tr><td>516/2</td><td>0.230</td><td></td></tr> <tr><td>517/1</td><td>0.481</td><td>0.062</td></tr> <tr><td>517/2</td><td>0.439</td><td></td></tr> <tr><td>479</td><td>0.667</td><td>0.188</td></tr> <tr><td>480/1</td><td>0.647</td><td>0.084</td></tr> <tr><td>480/2 मि-1</td><td>0.470</td><td></td></tr> <tr><td>480/2 मि-2</td><td>0.146</td><td></td></tr> <tr><td>480/3</td><td>0.304</td><td></td></tr> <tr><td>480/4</td><td>0.094</td><td></td></tr> <tr><td>480/5</td><td>0.042</td><td></td></tr> <tr><td>495/1</td><td>0.219</td><td>0.157</td></tr> <tr><td>495/2मि-1</td><td>1.181</td><td></td></tr> <tr><td>495/3</td><td>0.157</td><td></td></tr> <tr><td>495/4</td><td>0.161</td><td></td></tr> <tr><td>495/5</td><td>0.272</td><td></td></tr> <tr><td>495/6</td><td>0.282</td><td></td></tr> <tr><td>495/7</td><td>0.940</td><td></td></tr> <tr><td>495/8</td><td>0.052</td><td></td></tr> <tr><td>495/9</td><td>0.430</td><td></td></tr> <tr><td>494/1</td><td>0.052</td><td>0.062</td></tr> <tr><td>494/2</td><td>0.840</td><td></td></tr> <tr><td>494/3</td><td>0.031</td><td></td></tr> <tr><td>493/1</td><td>0.178</td><td>0.011</td></tr> <tr><td>493/2मि-1</td><td>0.021</td><td></td></tr> <tr><td>493/2 मि-2</td><td>0.104</td><td></td></tr> </tbody> </table>			सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)	(1)	(2)	(3)	464/1	0.773	0.105	464/2	0.668		516/1	0.439	0.125	516/2	0.230		517/1	0.481	0.062	517/2	0.439		479	0.667	0.188	480/1	0.647	0.084	480/2 मि-1	0.470		480/2 मि-2	0.146		480/3	0.304		480/4	0.094		480/5	0.042		495/1	0.219	0.157	495/2मि-1	1.181		495/3	0.157		495/4	0.161		495/5	0.272		495/6	0.282		495/7	0.940		495/8	0.052		495/9	0.430		494/1	0.052	0.062	494/2	0.840		494/3	0.031		493/1	0.178	0.011	493/2मि-1	0.021		493/2 मि-2	0.104	
सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)																																																																																													
(1)	(2)	(3)																																																																																													
464/1	0.773	0.105																																																																																													
464/2	0.668																																																																																														
516/1	0.439	0.125																																																																																													
516/2	0.230																																																																																														
517/1	0.481	0.062																																																																																													
517/2	0.439																																																																																														
479	0.667	0.188																																																																																													
480/1	0.647	0.084																																																																																													
480/2 मि-1	0.470																																																																																														
480/2 मि-2	0.146																																																																																														
480/3	0.304																																																																																														
480/4	0.094																																																																																														
480/5	0.042																																																																																														
495/1	0.219	0.157																																																																																													
495/2मि-1	1.181																																																																																														
495/3	0.157																																																																																														
495/4	0.161																																																																																														
495/5	0.272																																																																																														
495/6	0.282																																																																																														
495/7	0.940																																																																																														
495/8	0.052																																																																																														
495/9	0.430																																																																																														
494/1	0.052	0.062																																																																																													
494/2	0.840																																																																																														
494/3	0.031																																																																																														
493/1	0.178	0.011																																																																																													
493/2मि-1	0.021																																																																																														
493/2 मि-2	0.104																																																																																														
376	0.15	0.02																																																																																													
377	0.18	0.07																																																																																													
375	0.81	0.06																																																																																													
248	0.11	0.01																																																																																													
408	0.66	0.08																																																																																													
304	0.40	0.01																																																																																													
252	0.20	0.01																																																																																													
192	1.15	0.10																																																																																													
307	0.19	0.05																																																																																													
74	1.00	0.10																																																																																													
75	0.75	0.16																																																																																													
256	0.28	0.01																																																																																													
168	0.16	0.07																																																																																													
169	0.47	0.04																																																																																													
170	0.80	0.14																																																																																													
171	0.70	0.06																																																																																													
178	0.60	0.01																																																																																													
164	0.48	0.01																																																																																													
166	0.16	0.07																																																																																													
167	0.20	0.02																																																																																													
182	0.53	0.10																																																																																													
255	0.44	0.03																																																																																													
254	0.24	0.08																																																																																													
253	0.14	0.05																																																																																													
212	1.02	0.16																																																																																													
211	0.40	0.02																																																																																													
213	0.28	0.06																																																																																													
195	0.43	0.05																																																																																													
194	0.43	0.10																																																																																													
191	0.44	0.04																																																																																													
172	0.73	0.03																																																																																													
177	0.86	0.12																																																																																													
79	0.34	0.15																																																																																													
78	0.63	0.03																																																																																													
72	0.60	0.12																																																																																													
71	0.29	0.04																																																																																													
26	0.84	0.17																																																																																													
27	0.42	0.06																																																																																													
33	1.10	0.01																																																																																													
		कुल योग : 6.39																																																																																													
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की धनवई मायनर के निर्माण हेतु.																																																																																														
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.																																																																																														

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
493/3	0.125		70	0.105	0.042
484/1	0.241	0.094	71/1	0.115	0.031
484/2	0.146		71/2	0.115	-
484/3	0.178		73/1	0.063	0.031
484/4	0.094		73/2	0.407	
484/5	0.293		34	0.606	0.147
484/6 मि-1	0.073		79	0.303	0.011
484/6 मि-2	0.418		80	0.083	0.031
498/1			81/1	0.909	0.220
498/2	0.157	0.042	29/1क		0.042
498/3	1.052		29/1ख		
490/1	0.177	0.052			
490/2	0.052				योग : 2.040
489/1 मि-1	0.167	0.209	सुनारपुरा 2 एल मायनर		
489/1 मि-2	0.209				
489/2	0.209		479/1	0.366	0.052
489/3	0.575		479/2	0.449	
505/मि-1	0.888	0.021	479/3	0.261	
505 मि-2	0.889		479/4	0.157	
488/2 मि-1	0.115	0.073	480/1	0.647	0.062
488/2 मि-2	0.157		480/2मि-1	0.470	
492/1 मि-2	0.031	0.198	480/2 मि-2	0.146	
492/2	0.042		480/3	0.304	
492/3			480/4	0.094	
492/4	0.302		480/5	0.042	-
		योग : 1.483	477	0.711	0.072
			476	0.669	0.042
			475	0.941	0.031
			471	0.867	0.073
			472	0.930	0.084
			470	1.338	0.105
			429	1.045	0.157
			425	1.119	0.116
			426 मि-1	0.293	0.021
			426 मि-2	0.418	
			427	1.087	0.125
					योग : 0.940
					कुल योग : 4.463
सुनारपुरा 1 एल मायनर					
203	0.199	0.021	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहरप्रणाली की ब्रेजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.		
211 मि-1	0.565	0.157			
211 मि-2	0.564		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.		
213 मि-1	0.481	0.135			
213 मि-2	0.241				
213 मि-3	0.240				
213 मि-4	0.073				
212	1.170	0.021			
217	1.087	0.220			
228	0.115	0.031			
226 मि-1	0.512	0.325			
226 मि-2	1.536				
151	0.115	0.011			
27/1मि-2	0.418	0.073			
56	0.303	0.084			
59	0.136	0.031			
58	0.439	0.105			
68/1	1.164	0.271			

प्र. क्र. 107-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बनारपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.644 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
149 मि-1	0.669	0.116
149 मि-2	0.658	
144 मि-1	0.470	0.116
144 मि-2	0.481	
146	1.777	0.188
138	0.794	0.084
142	0.763	0.095
141	1.003	0.178
128	0.460	0.209
127	1.317	0.209
126	0.449	0.198
125 मि-1	0.783	0.251
125मि-2	0.481	

योग : 1.644

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्च स्तरीय नहर की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 111-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—खेरियामोदी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.604 हेक्टर.

सर्वे नं.	कुल रकबा (हेक्टर में)	अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (है. में)
(1)	(2)	(3)
42	0.554	0.031
53	0.418	0.125
54/1	1.411	0.209
54/2मि-1	0.041	0.094
54/3	0.606	0.125
54/2 मि-2	0.638	
282 मि-1	0.187	0.084
282 मि-2	0.186	
282 मि-3	0.186	
282 मि-4	0.186	
282 मि-5	0.186	
281	1.087	0.136
285	1.453	0.152
298	1.150	0.011
297/1	0.596	0.167
297/3	0.303	0.063
297/2		0.031
297 मि-3	0.303	
296	2.257	0.271
293/3	0.157	0.011
292/2	0.314	0.083
280	0.637	0.11

योग : 1.604

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है— हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 112-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—करगंवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.389 हेक्टर.

सर्वे नं. कुल रकबा अर्जित किये जाने
(हेक्टर में) वाला अनुमानित
रकबा (हे. में)

(1) (2) (3)

372	0.630	0.011
362	0.610	0.042
360	0.180	0.042
365	0.560	0.021
348	0.690	0.094
344	0.110	0.021
345	0.110	0.011
346	0.240	0.042
353	0.730	0.105

योग : 0.389

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 113-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—धनेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.198 हेक्टेयर.

सर्वे नं. कुल रकबा अर्जित किये जाने
(हेक्टेयर में) वाला अनुमानित
रकबा (हे. में)

(1) (2)

1330	0.105	0.031
1323	0.376	0.073
1324मि-1	0.020	0.105
1324मि-2	0.325	
1325मि-1क	0.366	0.105
1325मि-1ख	0.314	
1325/2मि-1	0.470	
1325/2मि-2	0.261	
1325/3	0.209	
1295/3	0.314	0.209
1295मि.-2	0.418	
1295मि-3	0.397	
1295मि-4	0.648	
1295मि-5	0.314	
1295मि-6	0.627	
1295मि-7	0.199	
1295मि-8	0.826	
1295मि-9	0.199	
1295मि-10	0.021	
1296	1.264	0.136
1297मि-1	0.752	0.084
1297मि-2	0.052	
1305	0.470	0.021
1302 मि-1	0.282	0.094
1302मि-2	0.293	
1301/1	0.345	0.052
1301/2	0.209	
1222	0.188	0.011
1223	0.157	0.062
1282	0.209	0.042
1283मि-1	0.209	0.052
1283मि-2	0.175	
1281मि-1	0.397	0.031
1281मि-2	0.397	
1286मि-1	0.209	0.062

(1)	(2)	(3)
1286मि-2	0.084	
1225मि-1	0.303	0.011
1225मि-2	0.314	
1257मि-1	0.502	0.021
1257मि-2	0.836	
1258मि-1	0.324	0.062
1258मि-2	0.324	
1260मि-2	0.157	0.094
1260मि-1	0.690	
1260मि-3	0.418	
1260मि-4	0.209	
1262	0.042	0.011
1263	0.261	0.125
1250	0.209	0.011
1181	0.826	0.116
1183/1	1.003	0.261
1183/2	1.045	
1183/3	0.627	
1183/4	1.045	
1184	0.805	0.062
1185	0.491	0.021
1189मि-1	0.463	0.178
1189मि-2	0.157	
1189मि-3/1	2.703	
1188	0.125	0.011
1135मि-2	0.418	0.146
1135मि-3	0.418	
1073	0.219	0.011
1074	0.314	0.011
1120	1.369	0.062
1075	0.146	0.062
1076	0.209	0.062
1079	0.230	0.094
1080	0.282	0.011
1087	0.387	0.031
1086	0.084	0.052
1040	0.596	0.094
1039मि-1	0.813	0.011
1039मि-3	0.309	
990/1	0.627	0.167
990/2	0.355	
994मि-1	0.314	0.094
994मि-2		
979/मि-1	0.272	0.125
979/मि-2	0.282	
995	0.115	0.011
योग :	<u>3.198</u>	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर प्रणाली की बेरजा शाखा नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय में किया जा सकता है.

ग्वालियर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 118-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—बहांगीकला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.81 हेक्टेयर.

सर्वे नं. कुल रकबा अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)

(1)	(2)	(3)
644	0.340	0.15
643	0.190	0.05
652	0.150	0.01
521	0.180	0.13
517	0.630	0.110
518	0.020	0.110
434	0.050	0.010
515 मि-1	0.420	0.15
515 मि-2	0.430	
155	1.160	0.22
513	0.210	0.06
458	0.170	0.09
457	0.18	0.04
456	0.210	0.09

(1)	(2)		(1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		
455	0.150	0.10	अनुसूची (1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—ग्वालियर (ख) तहसील—ग्वालियर (ग) ग्राम—गोबई (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.17 हेक्टर. सर्वे नं. कुल रकबा अर्जित किये जाने (हेक्टर में) वाला अनुमानित रकबा (हे. में) (1) (2)		
420	0.160	0.030			
342	0.050	0.010			
339	0.060	0.020			
150	0.650	0.070			
329	0.040	0.030			
328	0.210	0.080			
327	0.040	0.010			
325	0.260	0.030			
326	0.060	0.020			
324	0.260	0.140			
323	0.260	0.110			
151	0.810	0.130			
166	0.190	0.120			
219	0.490	0.090			
167	0.08	0.070			
169	0.090	0.060			
230	0.380	0.120			
231	0.320	0.100			
223	0.500	0.100			
221	0.020	0.020			
210/1	0.710	0.240			
205/858	0.600	0.170			
208	0.800	0.130			
528	0.340	0.090			
537	0.290	0.070			
529	0.49	0.110			
536	0.44	0.100			
531	0.480	0.12			
		योग : 3.81			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-3 एल के निर्माण हेतु.			1032	1.460	0.080
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.			1019	0.140	0.040
			1026	0.500	0.020
			1025	0.380	0.100
			1021	0.230	0.050
			1007	0.280	0.110
			429	0.250	0.040
			593	0.110	0.020
			807	0.420	0.060
			797	0.420	0.170
			809/मिन-1	0.210	0.070
			810	0.420	0.120
			811	0.050	0.010
			787	0.220	0.100
			798	0.220	0.070
			354	0.300	0.060
			584	0.290	0.060
			355	0.260	0.060
			585	0.290	0.070
			586	0.290	0.060
			546	0.380	0.030
			552	0.400	0.120
			551	0.040	0.020
			432	0.150	0.030
			95	0.630	0.090
			550	0.390	0.140
			549	0.420	0.100
			431	0.300	0.090
			438	1.05	0.050

प्र. क्र. 120-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1)	(2)	
430	0.210	0.120
555	0.510	0.070
129	0.710	0.160
133	0.420	0.050
357	0.440	0.070
349	0.540	0.040
360	0.210	0.050
140	0.210	0.020
141	0.210	0.130
136	0.210	0.050
106	0.420	0.020
108	1.050	0.210
92	1.050	0.010
131	0.42	0.04
128	0.32	0.09
	योग :	<u>3.17</u>

26	0.010	0.010
21	1.710	0.300
22	0.710	0.060
24	1.230	0.040
25	2.040	0.350
	योग :	<u>1.330</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-4 आर एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 125-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—कैमपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.08 हेक्टर.

सर्वे क्रमांक	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
253	0.02
259/1	0.06
259/2	
योग	<u>0.08</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—हरसी उच्चस्तरीय नहर की उदयपुरा नहर/रसीदपुर डिस्ट्री. उप शाखा एम-4 आर एवं एम-5 आर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

प्र. क्र. 123-अ-82-11-12-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की निम्न प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—ग्वालियर
(ख) तहसील—ग्वालियर
(ग) ग्राम—इकहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.330 हेक्टर.

सर्वे नं. कुल रकबा (हेक्टर में) अर्जित किये जाने वाला अनुमानित रकबा (हे. में)

(1)	(2)	
16	1.70	0.300
18	0.630	0.070
23	0.080	0.030
27	2.110	0.170

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 30 नवम्बर 2012

प्र. क्र. 02 अ-82-11.12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बघरू मध्यम जलाशय परियोजना की मुख्य नहरों के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—त्योंदा
(ग) नगर/ग्राम—रसूलपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.207 हेक्टर.

सर्वे	अर्जित किए जाने वाला
क्रमांक	अनुमानित क्षेत्रफल
	(हेक्टेयर में)

(1)	(2)
1156/2ख	0.207
1157/1ख	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बघरू मध्यम जलाशय की दांयी तट की मुख्य नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, विदिशा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 22-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान

हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—बोहानी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.670 हेक्टर.

खसरा नम्बर		अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	
765/1, 766/1		0.016
761/1		0.052
765/3, 766/3		0.018
758/7		
759/7		0.026
760/7		
758/3		
759/3		0.024
760/3		
767/1		0.046
761/2		0.046
758/1		
759/1		0.048
760/1		
516/3, 518		0.030
459/4, 516/2		0.024
515/1		0.016
460/1, 515/2		0.032
461/1		0.016
462/1		0.014
463/1		0.084
464/2		0.044
451/3, 466/2		0.016
466/3		0.072
468		0.016

(1)	(2)	(1)	(2)
471, 472/3	0.060	103/1	0.052
480/3	0.072	103/3	0.008
483/1	0.084	103/6	0.016
483/5	0.036	103/9	0.012
483/2, 483/6	0.048	103/10	0.006
483/3, 483/4	0.072	104/1, 105/1, 109/1	0.020
489/2, 489/4	0.024	110/1	
486/1, 489/1	0.096	104/2, 105/2, 109/2	0.009
488/2	0.100	110/2	
485	0.060	106	0.028
486/1, 486/2, 487	0.036	119	0.032
500/2	0.060	120/2	0.052
500/1, 501/1	0.096	120/3	0.012
503/1	0.048	163, 164, 165/1, 166/1	0.048
504/1	0.032	166/3, 167/1, 167/3	
505/3	0.034	165/2, 166/2, 167/2,	
508/1, 509/1, 510/1	0.072	168, 159, 170,	0.008
511/1		171/1, 171/2	
योग . . .	<u>1.670</u>	206/7	0.020
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गरहा- अजंसरा-मरका-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.		209/3	0.024
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.		211/1, 211/2	0.086
		225	0.016
		226/1	0.052
प्र. क्र. 23-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू- अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		227	0.028
		230	0.028
		231/1, 232/1, 231/2,	0.008
		232/2	
		231/3, 232/2	0.036
		233/1, 233/2	0.052
		235/2, 237/1, 237/2	0.016
		237/4	0.038
		235/3	0.008
		235/4	0.008
		238/1, 238/3	0.100
		174, 175	0.028
		237/3, 244/2	0.036
		योग . . .	<u>0.963</u>
(1) भूमि का वर्णन—		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—गरहा- अजंसरा-मरका-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.	
(क) जिला—नरसिंहपुर		(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी गाडरवारा में किया जा सकता है.	
(ख) तहसील—गाडरवारा			
(ग) ग्राम—चिरचिरा			
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.963 हेक्टर.			
खसरा	अर्जित रकबा		
नम्बर	(हेक्टर में)		
(1)	(2)		
102/1	0.008		
102/2	0.024		
102/3, 103/5	0.044		

प्र. क्र. 24-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
486/1, 486/2, 487	0.090
488/2	0.100
488/1, 489/1	0.070
489/2, 489/4	0.058
489/3क	0.024
489/3ख	0.036
500/2	0.108
491/3	0.010
491/6	0.060
491/5	0.036
491/8	0.078
491/2	0.098
491/7	0.024
492/2	0.024
योग . . .	<u>0.816</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खंचारी-चिरचिरा-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 25-अ-82-वर्ष-2011-12-गाडरवारा-पत्र क्र. 74-भू-अर्जन-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,

सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—नरसिंहपुर
(ख) तहसील—गाडरवारा
(ग) ग्राम—सुजवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.780 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
1/1	0.120
1/2, 1/3	0.040
3/4 ख	0.070
1/4	0.045
3/4 क	0.070
1/5, 1/6	0.025
1/7	0.035
1/8	0.040
3/2	0.085
9/1, 9/2	0.070
10	0.035
11	0.050
12	0.035
13	0.035
14	0.035
16/2	0.040
17/1	
17/2	0.060
18/1 क	
18/1 ख	0.040
18/2 ख	
18/1 छ	0.040
18/1 ज	0.040
24	0.110
25/3, 26/5, 28	0.130
27	0.080
29/1	0.025
29/2	0.025
29/3	0.060
29/4	0.060
54	0.220

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग शहडोल, दिनांक 4 दिसम्बर 2012																																																		
56	0.080	<p>क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 568-प्र. क्र. 8-अ-82-2011-12-5997.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—</p> <p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—शहडोल (ख) तहसील—सोहागपुर (ग) ग्राम—पथखई, पटवारी हल्का नम्बर 100 (घ) लगभग क्षेत्रफल—29.041 हेक्टर.</p> <table border="0" style="width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">खसरा नम्बर</th> <th style="text-align: center;">अर्जित रकबा (हेक्टर में)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">(1)</th> <th style="text-align: center;">(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>91/1</td><td>0.692</td></tr> <tr><td>91/2</td><td>0.173</td></tr> <tr><td>78</td><td>1.619</td></tr> <tr><td>91/3</td><td>0.692</td></tr> <tr><td>244</td><td>0.198</td></tr> <tr><td>245</td><td>0.544</td></tr> <tr><td>271</td><td>0.193</td></tr> <tr><td>102</td><td>0.112</td></tr> <tr><td>257</td><td>0.781</td></tr> <tr><td>99</td><td>0.752</td></tr> <tr><td>248</td><td>0.225</td></tr> <tr><td>261</td><td>0.478</td></tr> <tr><td>180</td><td>0.082</td></tr> <tr><td>107/2</td><td>0.101</td></tr> <tr><td>266/1</td><td>0.053</td></tr> <tr><td>266/2ग</td><td>0.109</td></tr> <tr><td>110</td><td>0.133</td></tr> <tr><td>107/3</td><td>0.101</td></tr> <tr><td>321</td><td>0.162</td></tr> <tr><td>217/2</td><td>0.018</td></tr> <tr><td>351/3</td><td>0.027</td></tr> <tr><td>390</td><td>0.090</td></tr> <tr><td>408/2</td><td>0.105</td></tr> </tbody> </table>	खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)	(1)	(2)	91/1	0.692	91/2	0.173	78	1.619	91/3	0.692	244	0.198	245	0.544	271	0.193	102	0.112	257	0.781	99	0.752	248	0.225	261	0.478	180	0.082	107/2	0.101	266/1	0.053	266/2ग	0.109	110	0.133	107/3	0.101	321	0.162	217/2	0.018	351/3	0.027	390	0.090	408/2	0.105
खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)																																																			
(1)	(2)																																																			
91/1	0.692																																																			
91/2	0.173																																																			
78	1.619																																																			
91/3	0.692																																																			
244	0.198																																																			
245	0.544																																																			
271	0.193																																																			
102	0.112																																																			
257	0.781																																																			
99	0.752																																																			
248	0.225																																																			
261	0.478																																																			
180	0.082																																																			
107/2	0.101																																																			
266/1	0.053																																																			
266/2ग	0.109																																																			
110	0.133																																																			
107/3	0.101																																																			
321	0.162																																																			
217/2	0.018																																																			
351/3	0.027																																																			
390	0.090																																																			
408/2	0.105																																																			
57	0.050																																																			
58/1	0.025																																																			
58/2	0.025																																																			
59/1	0.035																																																			
59/5	0.035																																																			
60/1	0.040																																																			
60/2	0.040																																																			
62	0.160																																																			
63/1	0.045																																																			
63/2	0.045																																																			
64	0.120																																																			
65/1	0.030																																																			
65/2	0.050																																																			
68/1, 68/4, 91/1, 91/5	0.080																																																			
91/1, 92/2, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/7	0.120																																																			
100, 101	0.050																																																			
105/1	0.080																																																			
106, 189/2	0.070																																																			
107/1	0.050																																																			
102/2, 121, 122/2	0.330																																																			
124/1	0.080																																																			
124/3	0.100																																																			
126/1, 126/2	0.240																																																			
127	0.120																																																			
योग . .	3.780																																																			
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—खंचारी- चिरचिरा-बोहानी माता मंदिर मार्ग निर्माण.																																																				
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गाडरवारा में किया जा सकता है.																																																				
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजीव सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.																																																				

(1)	(2)	(1)	(2)
404/3	0.038	139	0.175
512	0.024	77/4	0.200
525/1	0.029	236	0.066
538/2	0.183	250	0.534
590/1	0.072	135/2	0.080
587	0.080	359/2	0.042
108/2	0.660	112	0.045
108/1	0.440	107/1ख	0.303
96	0.380	291	0.048
97	0.502	323	0.015
188	0.010	361	0.042
77/3	0.405	370	0.163
141	0.025	407	0.114
304	0.138	404/1	0.038
253	1.963	514	0.024
260	0.291	1032	0.027
325	0.144	525/3	0.069
282	0.071	525/5	0.029
276	0.060	590/2	0.072
107/4	0.405	574	0.067
266/2क	0.053	187/1	0.565
269	0.030	187/2	0.564
583/2	0.019	93/2	0.350
290	0.070	251	1.156
320/3	0.048	258	0.275
360	0.042	93/1	0.359
351/4	0.027	268	0.287
513/2	0.038	256	0.304
527/2	0.019	306	0.060
403	0.034	249	0.630
578	0.026	92	1.242
513/3	0.038	267	0.453
525/4	0.029	77/2	0.609
593	0.115	140/2	0.065
585	0.067	266/2ख	0.109
109/1	0.335	279/3	0.809
109/2	0.502	140/1	0.308
98	0.648	292	0.072
109/3	0.405	351/2	0.027
189	0.424	351/1	0.027
263	0.085	386	0.006
142	0.025	525/5	0.029
254	0.806	404/2	0.038
265	0.293	513/4	0.038

(1)	(2)	(1)	(2)
513/1	0.038	103	0.202
528	0.048	105/2	0.081
591	0.053		योग . . . 1.472
580	0.163		
579	0.053		
938/2	0.072		
1005	0.028		
1000	0.008		
1034/1	0.172		
1006	0.001		
1023/2	0.008		
1029	0.040		
1004	0.028		
1024	0.132		
1015	0.064		
1002	0.060		
	कुल योग . . . 29.041		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पथखई जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर कार्य से प्रभावित ग्राम पथखई की निजी भूमि 127 किता रकबा 29.041 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 562-प्र. क्र. 6-अ-82-2011-12-5998.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—धमनीखुर्द, पटवारी हल्का नम्बर 116
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.472 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
101	0.570
102	0.619

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीखुर्द की निजी भूमि 04 किता रकबा 1.472 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 563-प्र. क्र. 7-अ-82-2011-12-5999.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—कदौहा, पटवारी हल्का खैरहा नम्बर 113
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.453 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
50	0.056
51	0.056
52/1	0.010
72	0.044
77	0.197
79/1	0.036
80/1	0.032
82/2	0.032
80/3	0.033
85/1	0.051
85/2	0.077
87/1	0.005
87/2	0.005
89	0.115
101/1	0.006
101/2	0.007

(1)	(2)	(1)	(2)
101/3	0.007	292/5	0.020
102/1	0.003	302/2	0.020
104/1	0.017	292/6	0.020
102/2	0.003	302/3	0.020
104/2	0.017	400/1	0.034
102/3	0.003	292/2	0.020
104/3	0.017	302/4	0.020
102/4	0.003	292/3	0.020
102/5/1	0.003	302/5	0.020
104/5/1	0.017	400/3	0.020
102/5/2	0.003	292/4	0.020
104/5/2	0.018	302/6	0.020
102/5/3	0.003	292/1	0.020
104/5/3	0.018	305/1	0.040
102/5/4	0.003	305/2	0.040
102/6/1	0.003	305/3	0.009
102/6/2	0.003	306	0.030
102/6/3	0.003	307	0.090
145	0.086	336/1	0.073
155/1	0.020	336/2क	0.036
180/1	0.043	336/2ख	0.036
181/1	0.006	340/1	0.031
180/2	0.043	340/2	0.031
181/2	0.006	340/3	0.031
156	0.104	340/4	0.031
157/1	0.081	342	0.010
157/2	0.082	341/1	0.150
159/1	0.041	383/3	0.010
160	0.012	341/2	0.015
159/2	0.044	383/1	0.010
178/1	0.025	341/3	0.015
178/2	0.026	383/2	0.010
179/1	0.004	380	0.010
182/1	0.038	381	0.072
179/2	0.004	383/4	0.071
182/2	0.038	387	0.108
179/3	0.004	388	0.010
182/3	0.038	399/2	0.069
183	0.012	404	0.077
184	0.121	405	0.077
185	0.024	52/2	0.010
186	0.101	104/4	0.017
296	0.031		
302/1	0.020		
		योग . .	<u>3.453</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम कदौहा की निजी भूमि 102 किता रकबा 3.453 हे. का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 561-प्र. क्र. 5-अ-82-2011-12-6000.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—धमनीकला, पटवारी हल्का नम्बर 116
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.503 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
105/2	0.044
105/3	0.045
110/1	0.040
110/2	0.040
110/3	0.041
111	0.024
126	0.147
127	0.036
128	0.061
151	0.072
131	0.051
132	0.051
133/1	0.051
133/2	0.050
140	0.193
149	0.048
154	0.109
155	0.242
157	0.097
170	0.061
योग . . .	<u>1.503</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—धमनी सिंचाई योजना के नहर में प्रभावित ग्राम धमनीकला की निजी भूमि 20 किता रकबा 1.503 हे. का अर्जन.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शहडोल
(ख) तहसील—सोहागपुर
(ग) ग्राम—वासिन, पटवारी हल्का पचगांव नम्बर 88
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.168 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3	0.091
14/2	0.050
227	0.101
17	0.201
128/1	0.050
205	0.131
249/1	0.011
292/2	0.030
133/1	0.030
133/4	0.030
134/2	0.021
153/1	0.011
203/2	0.020
230/2	0.061
292/5	0.030
292/8	0.030
295	0.050
4	0.021
133/2	0.030
297	0.020

(1)	(2)	(1)	(2)
135	0.121	133/3	0.030
128/3	0.070	134/2	0.021
119	0.020	292/9	0.021
292/9	0.020	203/1	0.020
128/494	0.121	230/1	0.061
251/2	0.061	249/5	0.011
133/5	0.021	249/7	0.020
152	0.061	295	0.041
253	0.101		
203/3	0.091		योग . . . 3.168
249/3	0.011	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम वासिन में प्रभावित निजी भूमि 3.168 हे. का अर्जन.
249/6	0.011	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
251/1	0.121		
311/2	0.061		
314	0.141		
16/1	0.011		
16/2	0.020		
278	0.041		
118/2	0.091		
121	0.041		
122/2	0.030		
249/4	0.011		
311/1	0.040		
133/6	0.021		
249/8	0.020		
153/2	0.011		
229	0.071		
292/4	0.020		
292/7	0.020		
292/6	0.020		
312	0.081		
41/1	0.070		
204	0.041		
16/3	0.011		
118/1	0.091		
128/2	0.050		
122/1	0.030		
249/2	0.020		
292/3	0.030		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम वासिन में प्रभावित निजी भूमि 3.168 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—पचगांव, पटवारी हल्का नम्बर 88

(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.075 हेक्टर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
10/1	0.011
10/2	0.011
10/3	0.011
13	0.069
30/1	0.089
30/2	0.089
37	0.030
67/1	0.020
67/2	0.020
186	0.041

(1)	(2)	(1)	(2)
187	0.071	342/1	0.020
219	0.089	712/1	0.031
232	0.011	586	0.061
188/3	0.011	704	0.161
211	0.089	708	0.210
214/1	0.049	715	0.011
150/2	0.041	717	0.021
151	0.151	701/1	0.091
153	0.121	710/2	0.090
154	0.061	712/2	0.030
180	0.041	713/2	0.061
181	0.011	814	0.010
182	0.031	820	0.010
612	0.089	821	0.061
671	0.181	822	0.030
714	0.221		योग . . . 4.075
779	0.071		
780	0.061	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना अन्तर्गत ग्राम पचगांव में प्रभावित निजी भूमि 4.075 हे. का अर्जन.
802	0.101	(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.
826	0.091		
525	0.121		
214/2	0.041		
218	0.151		
220	0.051		
149	0.081		
664	0.090		
665	0.041		
666	0.031		
150/1	0.031		
670	0.021		
234	0.061		
297	0.041		
298	0.101		
299/1	0.030		
292/2	0.020		
306	0.041		
307	0.020		
308	0.040		
339/1	0.020		
339/2	0.020		
339/3	0.030		
340	0.030		
713/1	0.061		
342/2	0.020		
			अनुसूची
		(1)	भूमि का वर्णन—
		(क)	जिला—शहडोल
		(ख)	तहसील—सोहागपुर
		(ग)	ग्राम—विचारपुर, पटवारी हल्का कल्याणपुर, नम्बर 79
		(घ)	लगभग क्षेत्रफल—3.676 हेक्टर.
			खसरा अर्जित रकवा
			क्रमांक (हेक्टर में)
		(1)	(2)
		93/3	0.091
		150/1	0.081
		150/2	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
151/1	0.301	375/8	0.031
152/2	0.101	400/2	0.101
165	0.061	407	0.211
202	0.291	447	0.030
152/1	0.101	451	0.020
152/2	0.091	453	0.211
152/3	0.020	452/1	0.070
253	0.049	452/2	0.070
254	0.049	452/3	0.070
256	0.061	योग . . .	<u>3.676</u>
257	0.071		
273/1	0.050	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम विचारपुर में प्रभावित निजी भूमि 3.676 हे. का अर्जन.	
273/2	0.050		
273/3	0.050	(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.	
273/4/1	0.030		
273/4/2	0.021		
273/4/3	0.021		
273/4/4	0.021		
277	0.241	क्र. दस-भू-अर्जन-फा. 571-प्र. क्र. 2-अ-82-2011-12-6205.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
279	0.171		
287	0.181		
291	0.120		
373/1	0.021		
275/1	0.031		
373/2	0.021		
375/2	0.031		
373/3	0.020		
375/3	0.030		
373/4	0.020		
375/4	0.030		
373/5	0.020		
373/6	0.020		
375/9	0.030		
375/4	0.030		
373/5	0.020		
373/6	0.020		
375/9	0.030		
373/7	0.020		
375/5	0.030		
373/8	0.021		
375/6	0.031		
373/9	0.030		
375/7	0.030		
373/10	0.021		

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—शहडोल

(ख) तहसील—सोहागपुर

(ग) ग्राम—मझौली, पटवारी हल्का खोलहाड, नम्बर 79

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.603 हेक्टर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)

51	0.181
----	-------

53/2	0.011
------	-------

54/2	0.121
------	-------

96/1	0.040
------	-------

54/1/2	0.010
--------	-------

96/3/2	0.041
--------	-------

97/2	0.011
------	-------

53/1/2	0.011
--------	-------

96/2	0.041
------	-------

62/1	0.030
------	-------

62/2	0.021
------	-------

62/3	0.011
------	-------

(1)	(2)	(1)	(2)
62/4	0.011	118	0.041
62/5	0.011	125, 143/127/2/2/1	0.008
71	0.030	143/127/1/2/1	0.032
72	0.011	143/127/1/2/2	0.040
73	0.011	143/127/1/2/3	0.028
योग . .	<u>0.603</u>	कुल योग . .	<u>0.428</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—मुडना जलाशय योजना के नहर निर्माण में ग्राम मझौली में प्रभावित निजी भूमि 0.603 हे. का अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर, शहडोल/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सोहागपुर, जिला शहडोल में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार भार्गव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—छीपानेर उद्वहन सिंचाई योजना अन्तर्गत राजिंगमेन/जैक वैल एवं डिस्ट्रीब्यूटरी चैम्बर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नसरुल्लागंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कवीन्द्र कियावत, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीहोर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 10-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीहोर
(ख) तहसील—नसरुल्लागंज
(ग) ग्राम—झकलाहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.428 हेक्टर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/2क/3	0.041
115	0.065
119/2	0.020
120/1	0.048
148/118/2	0.048
148/118/1	0.057

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 35-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—टिकटई
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—0.934 हेक्टर.

भू-अर्जन में भू-खण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हे. में)
(1)	(2)
693	0.358
694/1	0.218
699	0.358
योग . .	<u>0.934</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—राजनगर बछौन मार्ग के कि.मी. 17/2 उर्मिल पुल चन्दला तरफ पहुंच मार्ग निर्माण कार्य में आने वाली भूमि के अर्जन हेतु.	(1)	(2)	
	18/1	0.10	
	18/3	0.10	
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, लवकुशनगर में किया जा सकता है.	18/4	0.10	
	38/2	0.20	
	11	0.15	
	164	0.13	
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	165	0.06	
	166/1	0.08	
	343	0.16	
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	344/1	0.33	
	345/1	0.20	
	345/2	0.20	
	347	0.12	
सागर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012	348/1	0.15	
	348/4	0.20	
क्र. 10148-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—	348/5	0.20	
	348/6	0.02	
	351	0.03	
	352	0.32	
	353	0.32	
	359	0.03	
	360/1	0.10	
	360/2	0.10	
अनुसूची	360/3	0.10	
(1) भूमि का वर्णन—	379/1	0.20	
(क) जिला—सागर	379/2	0.20	
(ख) तहसील—देवरी	379/3	0.20	
(ग) ग्राम—जैतपुर कछया, प. ह. नं. 6	382/1	0.04	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.61 हेक्टेयर.	396/1	0.20	
खसरा	अर्जित क्षेत्रफल	397/2	0.13
नंबर	(हेक्टर में)	397/3	0.13
(1)	(2)	397/4	0.13
4/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	0.20	398	0.06
6/2	0.15	399	0.30
6/3	0.10	400	0.03
8	0.40	413/4	0.10
10	0.12	414/1	0.31
12/2	0.40	415/1	0.06
12/3	0.21	415/2	0.06
12/4	0.16	416/1	0.16
13/1, 2	0.06	417	0.30
13/3, 4	0.07	418/2	0.04
15/1	0.13	442/1	0.23
15/2	0.13	444	0.63
16/1, 2, 3	0.07	446/1	0.25

(1)	(2)	(1)	(2)
446/2	0.05	33	1.446
478	0.44	34	0.214
479	0.10	27	0.633
480	0.23	188	0.380
481/1, 2	0.02	189	2.978
539/2	0.32	190	0.310
542	0.41	191	0.753
543/1	0.22	192/1	0.008
559/1	0.14	193	0.127
561/1	0.07	194	0.839
561/2	0.29	195	0.600
561/3	0.28	196	0.430
561/4	0.05	197	0.430
561/5	0.05	198	0.868
561/6	0.05	199	0.440
561/7	0.05	200	0.420
562/5	0.38	179	0.170
		180	0.170
योग . . .	<u>12.61</u>	181	0.170
(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—सोनपुर मध्यम परियोजना नहर निर्माण हेतु.		182	0.170
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), देवरी के कार्यालय में किया जा सकता है.		183	0.670
		184	0.670
		186	0.390
		187	0.380
		176	0.027
		178/1	0.720
		178/2	0.740
		178/3	0.560
		201	2.670
		204	1.500
		205/1	0.370
		205/2	0.380
		206	1.170
		207/1	0.320
		207/2	0.770
		208	1.060
		209	1.050
		210	1.050
		211	1.465
		212	0.063
		258	0.700
		259	0.700
		260	1.340
		261	0.078
		288	0.460
		योग . . .	<u>31.965</u>

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—सागर

(ग) ग्राम—तोड़ा तरफदार

(घ) लगभग क्षेत्रफल—31.965 हेक्टेयर.

खसरा नंबर

अर्जित रकबा

में से

(हेक्टर में)

(1)

(2)

30

0.186

31

0.182

32

0.738

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये आवश्यकता है—तोड़ा जलाशय योजना के शीर्ष कार्य हेतु द्वारा कार्यपालन यंत्रो जल संसाधन संभाग क्र. 1 सागर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सागर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खण्डवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2012

नस्ती क्र. 115-2012/एल.ए.-भू-अर्जन-प्र. क्र. 36-अ-82-11-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खण्डवा
(ख) तहसील—पुनासा
(ग) ग्राम—करोली
(घ) अर्जित रकबा—0.135 हेक्टेयर.

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
555/1	0.135
योग . . .	<u>0.135</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—मूंदी-सुलागांव-सनावद मार्ग पर प्रस्तावित पुनासा बायपास निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा संभागीय प्रबंधक, सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज दुबे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उमरिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
उमरिया, दिनांक 18 दिसम्बर 2012

क्र. 4422-भू-अर्जन-2012.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—उमरिया
(ख) तहसील—मानपुर
(ग) ग्राम—गड़रिया टोला, प.ह.नं. 27, देवगवां, प.ह.नं. 29, चिमटा, प.ह.नं. 28, कोटररी, प.ह.नं. 28, अमरपुर, प.ह.नं. 30.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.941 हे., 4.843 हे., 1.033 हे., 2.733 हे., 2.161 हे.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
ग्राम—गड़रिया टोला, प. ह. न. 27	
253/2	0.108
186/1/क	0.015
187/1	0.016
186/1/ख	0.015
187/2	0.016
240/2	0.049
186/1/ग	0.015
187/3	0.016
186/1/घ	0.015
187/4	0.016
186/1/ङ	0.015
187/5	0.016
186/1/च	0.015
187/6	0.016
189	0.108
186/3	0.004
246	0.007
251/1	0.004
251/2	0.003
250/1	0.081

(1)	(2)	(1)	(2)
250/2	0.031	277/1 च में	0.006
249/1	0.004	277/2 में	0.010
249/2	0.117	237	0.194
248	0.180	235/5	0.192
267/9	0.013	235/4	0.213
240/1	0.050	योग निजी भूमि . .	<u>4.941</u>
242/1/ख/1	0.070		
242/1/क/1	0.295		
241/2क	0.108		
226/1	0.063	शासकीय भूमि	
227	0.089	173/1	0.305
229/1क	0.092	188	0.087
230/1	0.084	239/1	0.060
228/2ख	0.030	कुल योग . .	<u>5.393</u>
228/1ख	0.029		
228/1क	0.030	ग्राम—देवगवां, प. ह. नं. 29	
31/2क	0.015	792/1	0.180
16	0.325	794/1 क	0.312
335/5/क/2	0.067	787/1	0.144
159/2	0.030	698/1	0.457
18/1	0.099	698/2	0.194
335/3	0.130	697/4	0.323
347/3ग	0.070	697/3	0.241
347/1ख	0.215	697/1	0.184
349/2 क	0.100	693	0.480
349/2 ख	0.100	695/1	0.084
388	0.125	790/1 क	0.091
394/2 ग	0.180	790/1 ख	0.052
384/9	0.200	790/2	0.130
381/1	0.100	763/842	0.005
159/1	0.020	791/1	0.078
240/1	0.108	791/2	0.078
240/2	0.108	781/1	0.117
277/1 ख में	0.006	765/846	0.106
276/1 ख	0.096	752	0.050
239/2	0.064	781/2 क	0.067
238	0.168	781/2 ख	0.067
235/3	0.141	765	0.042
277/1 क में	0.006	762	0.120
277/1 ग में	0.006	760	0.102
277/1 घ में	0.006	748/1	0.112
277/1 ङ में	0.006	759	0.063
		756/839/1	0.060

(1)	(2)	(1)	(2)
756/838/1	0.010	216/2	0.011
756/838/2	0.010	215/1	0.049
756/838/3	0.010	215/2	0.027
756/838/4	0.010	182/1 क	0.049
756/838/5	0.010	186/1 क	0.022
754/2ख	0.055	172/1 में	0.003
754/3	0.055	153/1क/1	0.027
754/4	0.055	174/1 क	0.005
751	0.100	182/1 ख	0.049
753	0.005	186/ 1 ख	0.022
747/1	0.016	172/2 में	0.002
747/2	0.016	153/1क/2	0.027
748/2	0.016	174/1 ख	0.005
834/2	0.050	185	0.005
792/1	0.104	166 में	0.011
375	0.080	184	0.006
376	0.030	167/1 क	0.049
484	0.012	168/1 में	0.005
782/849	0.100	167/1 ख	0.044
482	0.160	168/2	0.005
योग निजी भूमि . .	4.843	154/3 क	0.016
ग्राम—चिमटा, प. ह. नं. 28		265	0.196
237/267/1	0.044	योग निजी भूमि . .	1.033
154/1	0.038	शासकीय भूमि	
237/267/2	0.044	153/2 ख	0.005
154/2	0.038	153/1 ख	0.005
238/1	0.033	217	0.110
237/1	0.005	कुल योग . .	1.053
175/2	0.038	793	0.138
125/2	0.010	754/1	0.090
238/2	0.033	756	0.060
175/1	0.038	393	0.010
124 में	0.007	कुल योग . .	5.141
125/1	0.010	ग्राम—कोटरी, प. ह. नं. 28	
238/3	0.027	627	0.040
216/1	0.033	629/2	0.340
		622	0.012
		628	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
621/1	0.030	475	0.171
623/1/क	0.024	476	0.005
623/2/क	0.012	477	0.054
623/2ख	0.012	478	0.088
623/3	0.024	479	0.170
623/4	0.024	530	0.167
623/5	0.024	527	0.222
623/6	0.020	546	0.096
620	0.040	582	0.087
624	0.070	286	0.024
298/1 क	0.240	590/1 ख	0.050
298/2 ख	0.230	585/2	0.077
298/2क/2	0.010	590/1	0.105
298/7/क/1/क	0.035	585/1	0.057
298/7/क/1/ख	0.035	589	0.091
298/5/क	0.017	592/1 क	0.042
298/3	0.015	482	0.088
298/6	0.035	योग निजी भूमि . . .	2.161
299/1	0.030	शासकीय भूमि	
299/2	0.120	593/1	0.414
292/1	0.040	571	0.300
292/2	0.090	570	0.060
273/1	0.107	573	0.020
258/2क	0.110	502	0.100
291/1	0.024	कुल योग . . .	3.055
258/1	0.379		
298/1क	0.153		
298/2/क/1/ख	0.147		
298/2/क/1/ग	0.106		
298/2 ख	0.075		
298/6	0.053		
योग निजी भूमि . . .	2.733		
शासकीय भूमि			
298/1	0.005		
कुल योग . . .	2.738		
ग्राम—अमरपुर, प. ह. नं. 30			
577/2	0.315		
586	0.174		
546	0.073		
474	0.005		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भदार डायवर्सन योजना, नहर कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, जिलाध्यक्ष उमरिया (म. प्र.) एवं कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया (म. प्र.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

(4) भू-अर्जन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु आदेशित किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुरेन्द्र उपाध्याय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

		(1)	(2)
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं			
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		344	2.020
		347/1	0.240
सागर, दिनांक 17 नवम्बर 2012		347/2	0.240
		347/3	0.240
क्र.-क-10275-भू.-अर्जन-2011-प्र.क्र. 01-अ-82-11-12-		347/4	0.240
न्याया.क्ले.33 A-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का		347/5	0.250
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित		348	1.420
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के		350	0.230
लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,		354	1.960
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता		355	2.100
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		356	2.000
		358	0.250
अनुसूची		359	1.120
(1) भूमि का वर्णन—		360	0.530
(क) जिला—सागर		372	0.130
(ख) तहसील—बण्डा		373	0.200
(ग) ग्राम—पगरा		374	0.730
(घ) लगभग क्षेत्रफल—33.05 हेक्टर (निजी भूमि).		375	0.710
		377	0.270
		378	0.020
खसरा	रकबा	379	0.550
नंबर	(हेक्टर में)	383	0.040
(1)	(2)	384/1	0.120
114	0.550	384/2	0.360
115	0.230	384/3	0.570
116	0.120	384/4	0.340
117	1.920	385	1.170
119	0.900	386	0.880
130	0.070	387	1.960
134	0.170	388/1	0.060
135	0.050	388/2	0.160
136	0.030	388/3	0.290
277	0.370	389/1	0.710
278/1	0.180	389/2	0.500
278/2क	0.010	389/3	0.720
278/2ख	0.040	389/4	0.640
278/3	0.190	389/5	0.430
279	0.250	389/6	0.640
280	0.020		योग . . . 33.05
294	0.010		
308	0.140		
337	0.100		
339	0.660		
342	2.000		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र.-क-10277-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 02-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-31-अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—भीकमपुर रैयतवारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.16 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
33/2	0.050
65	0.290
67	0.050
91	0.200
96	0.500
104	0.070
योग . .	<u>1.160</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म. प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र.-क-10280-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 03-अ-82-11-12-न्याया.क्ले.-34 अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के

लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—भीकमपुर आबाद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.032 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
48	0.240
49	0.560
50	1.470
51	0.242
64	0.870
65	0.520
66	1.280
67	1.050
70/1	0.550
70/2	0.550
71/1	1.410
71/2	0.710
72	1.660
73/1	2.53
73/2	0.800
76	1.160
78	1.370
79	1.080
80	0.240
81	0.240
83	0.210
84	1.150
85	0.010
86	0.070
89	0.510
93	0.230
94	0.550
95	1.100
96	0.330
97	1.190
98	0.120

(1)	(2)
99	0.020
100	0.210
101	0.030
103	0.120
106	0.040
109	0.110
110	0.050
111	0.040
112	0.020
113	0.220
114	0.020
115	0.010
123	1.660
124	0.220
125	0.320
127	0.600
128	0.080
129	0.090
130	0.060
132	0.050
134	0.060
कुल . .	28.032

(ग) ग्राम—भीकमपुर मुस्तजरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—18.840 हेक्टर (निजी भूमि).

खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)
2	0.580
3	0.220
4	5.300
5	0.630
6	0.610
7/1	2.040
7/2	2.000
7/3	0.670
7/4	0.670
7/5	0.660
8	0.210
9	0.310
10	0.040
11	0.640
13	2.010
18	2.250
कुल . .	18.840

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल
संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय
में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10273-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 04-अ-82-11-12-
न्याया.क्ले.-28 अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—
पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल
संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय
में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र.-क-10272-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 05-अ-82-11-12-
न्याया.क्ले.-30 अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के
लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक,
सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़

(ग) ग्राम—चकेरी शाहगढ़		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—228.532 हेक्टर (निजी भूमि).			
खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)		
		36/2	0.420
		36/3	0.420
		37/1	0.330
		37/2	0.320
		38/1	0.670
1	0.336	38/2	0.680
2	0.090	39	0.150
3	0.825	40	0.124
4	0.610	41	0.180
5	0.560	42	0.189
6	0.620	43	0.848
7	4.330	44	0.288
8	2.230	50	0.143
9	2.840	52	0.378
10	1.130	53	0.880
11	0.680	54	0.088
12	0.610	55	0.976
13	0.210	56	0.230
14	0.620	57	0.260
15	0.100	58	1.440
16	0.160	59	0.880
17	0.620	60	0.140
18	0.530	61	1.170
19	0.930	62	0.520
20	0.610	63	0.560
21	0.320	64/1	0.790
22	1.100	64/2	0.790
23	0.520	65	1.540
24	1.030	67	0.120
25	0.680	68	0.020
26	0.400	69	0.080
27/1	0.490	70	0.080
27/2	0.100	71	0.050
28	0.600	72	0.050
29	0.790	73	0.040
30	0.780	74	0.030
31	0.600	75	0.010
32	0.610	76	0.030
33/1	0.220	77	2.250
33/2	0.220	78	1.190
33/3	0.230	79	1.050
34	0.780	80	0.940
35	1.220	81	0.650
36/1	0.420	82	1.070

(1)	(2)	(1)	(2)
83	0.580	138	0.010
84	3.430	139/1	0.030
85	1.310	139/2	0.030
86	0.160	140/1	0.010
88	0.580	140/2	0.010
89	0.020	141	0.020
90	0.050	142	0.020
91	0.050	144	0.020
92	0.010	145	0.020
93	0.010	147	0.020
96	0.060	148/1	0.010
97	0.120	148/2	0.010
98	0.200	149	0.050
99	0.140	150	0.040
100/1	1.220	151	0.040
100/2	0.160	152	0.050
101	0.580	153	0.060
103	1.750	154	0.030
104	0.560	155	0.020
105	0.500	158	0.060
106	0.640	160	0.030
107	0.240	161/1	0.130
108	0.490	161/2	0.120
109	1.460	162/1	0.030
110	0.750	162/2	0.030
111	1.550	162/3	0.030
112	1.850	163	0.060
115	1.320	164	0.120
116	0.350	165	0.130
117	0.280	166	0.100
118	0.580	168	0.440
119	0.150	169	0.250
121	0.170	170	0.200
123	0.530	171	0.130
124	1.890	172	0.660
127	0.990	173	0.650
129	3.210	174	0.510
130	0.310	175	1.410
131	1.630	176	0.660
132	2.300	177	0.230
134	0.130	178	0.890
135	0.060	179	1.300
136	0.170	180	0.280
137	0.150	181	0.280

(1)	(2)	(1)	(2)
182	0.650	229	0.060
183	0.930	230	0.100
184	0.720	231	0.640
185	0.651	232/1	0.270
186	0.250	232/2	0.800
188/1	0.100	233	1.270
188/2	0.110	235	0.590
189	0.840	236	0.600
190	0.560	237	1.040
191	0.250	238	2.240
194	2.060	239	0.380
195	0.310	240	2.900
197	1.740	241	3.160
199	4.660	242	0.310
200	4.260	243	2.260
201	0.100	244/1	0.540
208	0.020	244/2	0.550
209	0.020	244/3	0.540
210	0.030	245	0.070
211	0.030	246	0.370
212	0.080	247	0.820
213/1	0.060	248	0.580
213/2	0.020	249	0.680
213/3	0.020	250	1.320
214	0.060	251	0.310
215	0.020	252	0.270
216	0.130	253	0.980
217	0.020	254	1.130
218	0.022	255/1	0.180
221	0.080	255/2	0.180
222/1	0.020	255/3	0.190
222/2	0.010	256	0.760
223	0.060	257/1	0.130
224/1	0.080	257/2	0.130
224/2	0.030	257/3	0.130
224/3	0.030	258/1	0.210
224/4	0.020	258/2	0.210
225	0.050	258/3	0.210
226	0.020	259/1	0.350
227/1	0.020	259/2	0.350
227/2	0.020	259/3	0.340
227/3	0.020	260/1	0.100
228/1	0.040	260/2	0.090
228/2	0.020	260/3	0.090
228/3	0.020		

(1)	(2)	(1)	(2)
261/1	0.690		
261/2	0.700	313/2	0.020
261/3	0.690	313/3	0.020
263/1	0.060	314/1	0.300
263/2	0.080	314/2	0.100
263/3	0.060	314/3	0.100
264	0.670	314/4	0.100
265	0.160	315/1	0.140
266	0.670	315/2	0.340
267	1.540	315/3	0.340
268	0.900	317	0.550
269	1.650	318/1	0.420
271	0.410	318/2	0.410
273	1.370	319/1	0.400
275	0.500	319/2	0.420
276	1.050	321	0.560
277/1	0.790	322	0.780
277/2	0.530	323	0.930
278/1	1.200	324	1.160
278/2	0.600	325	0.910
279	0.330	326	0.160
284	1.580	327	1.110
285	0.400	337	0.440
286	0.448	338	1.130
288	0.110	339	3.380
292	0.620	340	0.770
294	0.126	341	0.490
295	0.175	342	0.690
296	0.385	343	1.000
297	0.110	344	0.450
298	1.140	345	0.240
299	0.340	346	0.900
300	1.200	347	1.120
301	0.220	348	1.110
302	0.220	349	1.110
303	0.480	350	1.110
304	0.300	351	0.120
305	0.290	352	1.030
306	0.460	353	1.100
307	0.300	354	0.320
308	1.110	355	0.980
309	0.730	356	1.020
310	0.460	357	0.350
311	0.380	358	0.080
313/1	0.020	359	0.360

(1)	(2)	(1)	(2)
360	0.390	414	0.060
361	0.060	416	0.060
362	0.060	418	0.060
363	0.370	421	0.800
364	1.350	422	0.030
365	1.040	423	0.040
366	0.700	424	0.050
367	0.390	425	0.150
369	0.470	426	0.360
370	0.550	427	0.580
371	0.090	428	0.520
375	0.670	429	0.340
376	0.110	430	0.260
377	0.590	431	0.100
378	1.000	432	0.040
379	0.350	433	0.050
380	0.200	434	0.030
381	0.250	435	0.040
383	1.080	436	0.040
384	0.200	437	0.060
385	0.160	438	0.200
386	0.150	439	0.100
387	0.150	440	0.530
388	1.560	442	0.320
390	0.820	443	0.280
391	0.200	444	0.310
392	0.180	445	0.160
393	0.570	446	0.060
394	0.070	449	0.140
395	0.550	450	0.140
396	0.280	451	0.110
397	0.080	452	0.070
398	0.100	453	0.970
399	0.040	454	0.750
400	0.050	455	0.090
401	0.080	457	0.020
402	0.190	458	0.090
403	0.060	459	0.180
404	0.500	460	0.300
405	0.740	461/1	0.140
409	0.070	461/2	0.140
410	0.080	461/3	0.150
411	0.100	461/4	0.160
413	0.040	461/5	0.140

(1)	(2)	(3)		
462/1	0.350	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	प्र. क्र. 06-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 38 अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
462/2	0.360			
463	0.100			
464	0.180			
465	0.470			
466	0.040			
467	0.040			
468	0.160			
469	0.140			
470	0.060			
471	0.060			
472	0.060			
473	0.100		अनुसूची	
476	0.040		(1) भूमि का विवरण—	
479	0.120		(क) जिला—सागर	
481	0.010		(ख) तहसील—बण्डा	
482	0.040		(ग) ग्राम—बमाना, प.ह.नं.-118, बमाना.	
484	0.050		(घ) लगभग क्षेत्रफल—128.16 हेक्टर.	
485	0.050			
486	0.160			
489	0.120		खसरा	अर्जित रकबा
490	0.120		नंबर	(हेक्टर में)
491	0.060		(1)	(2)
492	0.130		46/1	0.840
493	0.210		46/2	0.400
496	0.60		46/3	0.400
497	0.030		46/4	0.550
498	0.030		46/5	0.070
499	0.090		47	0.500
500/1	0.490		48/1	0.260
500/2	0.500		48/2	0.140
501	0.320		50	1.070
502	0.080		51/1	1.060
503	0.020		51/2	0.020
505	0.070		51/3	0.020
507	0.260		52	0.270
262/1	0.080		53	0.300
262/2	0.080		54	0.320
262/3	0.080		55	0.300
योग . . .	228.532		56	0.320
			57/1	0.480
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—			57/2	0.070
पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु			57/3	0.080
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर, म.प्र.			58	0.320

(1)	(2)	(1)	(2)
59/1	1.160	93	0.120
59/2	0.800	94	0.170
59/3	0.360	97	0.190
60/1	0.140	98	0.880
60/2	0.140	99	0.190
60/3	0.140	100	0.100
60/4	0.150	101	0.100
61	1.150	102/1	0.200
62	0.670	102/2	0.200
64/1	0.070	102/3	0.060
64/2	0.060	103	0.340
65	0.200	106	0.070
66	0.230	107	0.030
67	0.260	108	0.180
69	0.040	109	0.170
71	0.050	110	0.110
72	0.080	111/1	0.130
73	0.040	111/2	0.120
74	0.150	112	1.380
75	0.020	113	0.710
76/1	0.040	114	0.250
76/2	0.020	115	0.120
77	0.050	116	0.050
78	0.030	126	0.050
79	0.070	127	0.040
80	0.150	128	0.040
81	0.170	129/1	0.010
82	0.110	129/2	0.140
83	0.090	130/1	0.060
85/1	0.040	130/2	0.050
85/2	0.030	131	0.030
85/3	0.020	132/1	0.080
85/4	0.020	132/2	0.080
86/1	0.110	132/3	0.090
86/2	0.060	133	0.220
86/3	0.060	134	0.320
86/4	0.060	135	0.140
87	0.450	136/1	0.150
88/1	0.140	136/2	0.160
88/2	0.070	136/3	0.040
88/3	0.070	137/1	0.140
88/4	0.070	137/2	0.260
91	0.140	137/3	0.050
92	0.320	138	0.310

(1)	(2)	(1)	(2)
139	0.450	256/3	0.310
140/1	0.290	256/4	0.160
140/2	0.360	257/1	0.210
141/1	0.280	257/2	0.220
141/2	0.280	257/3	0.220
142	0.350	257/4	0.110
143	0.010	258/1	0.110
149	0.010	258/2	0.110
203	0.050	258/3	0.110
222/1	0.180	258/4	0.060
222/2	0.080	259	1.370
223/1	0.080	260	0.160
223/2	0.040	263	0.080
223/3	0.040	264	0.100
224	0.450	266/1	0.090
225	0.010	266/2	0.100
226	0.010	267	0.010
227	0.070	268	0.040
228	0.230	269/1	0.030
229	0.150	269/2	0.040
230	0.150	270	0.050
231/1	0.220	272/1	0.080
231/2	0.220	272/2	0.080
232	0.250	275	0.010
233	0.360	276	0.030
235	0.090	277	0.030
237	0.290	278	0.070
238	0.590	279	0.060
239	0.210	280	0.130
240	0.120	281	0.050
241	0.430	282	0.040
242	0.250	284	0.120
243	0.130	285	0.390
244	0.070	286	0.280
245	0.470	287	0.600
248	0.360	288	0.200
249	0.830	289	0.790
250	0.500	290	0.640
251	0.210	291	0.510
252	0.700	292	0.150
253	0.010	293	0.100
254/1	0.280	294	0.230
254/2	0.290	295/1	0.060
256/1	0.320	295/2	0.060
256/2	0.310		

(1)	(2)	(1)	(2)
296	0.090	681	0.550
297	0.060	682	0.520
301	0.020	683	0.110
302	0.030	684	0.740
303/1	0.010	685/1	0.470
303/2	0.020	685/2	0.090
303/3	0.020	686	0.550
303/4	0.100	687	0.340
305	0.110	688	0.890
306/1	0.030	689	0.880
306/2	0.050	690	0.070
306/3	0.060	692	1.040
306/4	0.030	693/1	0.380
307	0.050	693/2	0.370
307/913	0.300	694	0.470
308	0.050	695	0.350
309	0.060	696/1	0.700
310	0.140	696/2	0.600
311	0.050	697	0.800
312	0.870	698	0.060
313	0.040	699	1.100
316	0.240	700/1	0.570
319	0.340	700/2	0.580
320	1.100	701	0.670
321	0.440	702/1	0.070
322	0.310	702/2	0.040
393	0.060	703/1	0.240
394	0.040	703/2	0.120
395	0.030	704	0.400
405	0.020	705	0.980
406	0.030	706/1	0.240
413	0.030	706/2	0.240
414	0.020	707	0.440
415	0.020	709	0.800
416	0.010	710	0.550
498	0.020	711	1.020
644/1	0.350	712	0.390
645/2	1.100	713	0.570
674	0.300	714	0.400
675	0.020	715	0.490
676	0.020	716	0.200
677	0.510	717	0.260
678	0.140	718	0.120
679	0.320	719	0.400
680	0.230		

(1)	(2)	(1)	(2)
720	0.580	766	0.410
721	1.040	767	0.300
722	0.190	769	0.380
723	0.260	768	0.070
724	0.330	770	0.070
725	0.220	771	0.850
726	0.110	772	0.700
727	0.080	773	0.200
728/1	0.370	774	0.360
728/2	0.040	775/1	0.770
729	0.200	775/2	0.400
730	0.720	776	0.700
731	0.440	777/1	0.380
732	0.350	777/2	0.800
733	0.110	778	0.550
736	0.710	779	0.780
737	0.320	785	0.470
738	1.240	786	0.140
739	0.040	790/1	0.410
742	0.030	790/2	0.400
743	0.090	791	0.390
745	0.200	792	0.130
746	1.240	796	0.060
747/1	0.480	805	0.180
747/2	1.000	806	0.170
748	0.270	807	0.040
749	0.100	809	1.300
750	0.120	810	0.130
751	0.130	811	0.060
752	0.170	813	0.310
753	0.320	814	0.650
754	0.210	815	0.090
755	0.180	817	0.090
756	0.200	818	0.060
757	0.240	819	0.070
758	0.910	820	0.090
759	0.970	821	0.120
761	0.650	822	0.070
760	0.750	823	0.090
762/1	0.400	824	0.130
762/2	0.800	825	0.530
763	1.380	826/1	0.370
764	0.130	826/2	0.600
765	0.080	827	0.850
		828/1	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
828/2	0.400	872	0.800
829	0.190	890	0.110
830	0.190	891/1	0.370
831	0.070	891/2	0.400
832/1	0.840	891/3	0.360
832/2	0.720	893	0.180
833	0.310	895	0.010
835/1	0.260	896	0.230
835/2	0.400	897	0.080
836	0.350	898/1	0.450
837/1	0.220	898/2	0.130
837/2	0.230	899/1	1.030
838	0.340	899/2	0.820
839	0.500	899/3	0.380
840	0.610	900	0.300
841	0.180	903	0.100
842	0.130	905	0.100
843	0.500	कुल योग . .	<u>128.16</u>
844/1	0.260		
844/2	0.300	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के पगरा बांध निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म.प्र.).	
845/1	0.070		
845/2	0.070		
847	1.170		
848	0.940	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
849	0.560		
850/1	0.500		
850/2	0.440		
851	0.170		
852	0.390	क्र. 10281-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 07-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 35 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
853/1	0.480		
853/2	0.520		
854	0.130		
856	0.780		
857	0.690		
858/1	0.300		
858/2	0.480		
859	0.070		
862	0.010		
863	0.150		
864/1	0.120		
864/2	0.470		

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—चंद्रपुरा		(1)	(2)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—215.640 हेक्टर (निजी भूमि).			
खसरा नंबर (1)	अर्जित रकबा (हेक्टर में) (2)		
		37	0.660
		38/1	0.450
		38/2	0.150
		39	1.210
		40	1.450
12	0.100	41	0.550
13	1.190	42	0.800
15/1	0.530	43	1.830
15/2	0.440	44	0.790
16/1	0.060	45/1	0.150
16/2	0.450	45/2	0.150
17/1	0.400	46/1	0.230
17/2	0.340	46/2	0.230
18/1	0.120	47/1	0.760
18/2	0.460	47/2	1.000
19	0.930	48	0.280
20	1.350	49	0.860
21	0.680	50	3.010
22	0.750	51	1.460
23/1	0.730	52	1.010
23/2	0.360	54	0.300
23/3	0.370	56	0.460
24/1	0.260	57	0.160
24/2	0.210	58	1.120
24/3	0.540	59/1	0.530
25	0.660	59/2	0.800
26	0.050	60	2.600
27	0.640	61/1	1.350
28	0.750	61/2	1.650
29/1	0.120	62/1	0.230
29/2	0.230	62/2	0.200
30	0.470	62/3	1.250
31	0.170	63/1	1.180
32/1	0.400	63/2	0.540
32/2	0.950	64	1.040
32/3	0.910	65	0.190
33/1	2.280	66	0.350
33/2	1.310	68	0.420
34	1.000	69	1.500
35	0.970	70	0.250
36	0.100	71	0.110

(1)	(2)	(1)	(2)
72	1.050	95/2	0.510
73	1.990	96	0.100
74	0.840	98	0.150
75/1	0.270	99	0.680
75/2	1.000	100	0.730
75/3	1.200	101	0.050
75/4	2.400	104	0.110
76	1.050	105	0.130
77	0.910	110	0.020
78	0.450	113	0.060
79	0.640	114	0.010
80	0.560	115/1	0.050
81/1	0.300	115/2	0.090
81/2	0.160	118/1	0.050
82/1	0.140	118/2	0.050
82/2	0.210	119	0.120
83/1	0.330	128	0.030
83/2	0.280	129	0.040
84/1	1.000	131	0.050
84/2	0.370	132	0.020
85	0.520	134	0.080
86/1	0.410	136	0.060
86/2	0.990	143/1	0.330
86/3	0.480	143/2	0.330
87/1	0.700	147	0.210
87/2	0.220	148	0.170
87/3	0.400	150/1	1.000
87/4	0.110	150/2	0.480
87/408	1.000	151	0.340
87/5	0.230	152	0.070
88	0.150	153	0.060
89/1	0.120	153/402	0.010
89/2	0.450	156	1.510
89/3	0.450	157/1	0.530
90	0.500	157/2	0.540
91	1.160	158	0.350
92	0.170	159	0.240
93/1	0.380	160/1	1.300
93/2	0.400	160/2	0.440
94	0.110	160/407	0.860
95/1	0.600	161/1	2.040

(1)	(2)	(1)	(2)
161/2	0.400	188	0.400
162	1.390	189	0.210
163/1	0.680	190	0.600
163/2	0.240	191/1	0.320
163/406	0.400	191/2	0.400
164/400	0.350	192	0.540
165	1.740	193/1	0.790
166	0.660	193/2	0.700
167	1.010	194	0.410
168/1	0.340	195	0.810
168/2	0.340	196/1	0.330
169/1	0.470	196/2	0.120
169/2	0.480	197/1	0.280
170	0.320	197/2	0.180
171/1	0.420	197/3	0.180
171/2	0.210	197/4	0.180
171/3	0.220	197/5	0.180
171	0.220	198/1	0.340
172/1	0.230	198/2	0.330
172/2	0.110	199/1	0.140
172/3	0.110	199/2	0.140
173/1	0.230	200	0.330
173/2	0.120	201/1	0.060
173/3	0.120	201/2	0.070
174	0.540	203/1	0.180
175	1.530	203/2	0.180
176/1	0.500	205	0.370
176/2	0.500	206/1	0.130
177	0.850	206/2	0.120
178	0.110	207/1	0.120
179	0.050	207/2	0.020
180/1	0.030	208	0.390
180/2	0.020	209	0.030
181/1	2.710	210/1	0.040
181/2	1.920	201/2	0.050
184/1	1.000	210/3	0.050
184/2	0.450	210/4	0.050
184/3	0.560	211/1	0.130
186	0.180	211/2	0.110
187/1	0.560	211/3	0.110
187/2	0.500		

(1)	(2)	(1)	(2)
211/4	0.230	239	0.390
212/1	0.690	240	0.600
212/2	0.700	241	1.020
213/1	0.230	242	0.220
213/2	0.240	243	0.200
213/3	0.260	244	0.100
213/4	0.230	245	0.110
214/1	0.060	246	0.730
214/2	0.520	247	0.620
214/3	0.130	248	0.640
215	0.520	249	0.350
216	0.500	250	0.080
217	1.050	251	0.800
219	0.490	252	0.210
220/1	0.350	253	0.190
220/2	0.220	254	0.490
220/3	0.360	255	1.120
221	1.800	256	1.320
224	0.650	257	0.720
225/1	0.020	258	0.040
225/2	0.160	259	0.280
226	0.510	260	0.620
227/1	0.300	261	1.010
227/2	0.610	262	0.400
228	0.330	263/1	0.310
229	0.650	263/2	0.220
230	0.250	263/1	0.530
231/1	0.560	264/2	0.530
231/2	0.400	265/1	0.370
232/1	0.300	265/2	0.200
232/2	0.090	266/1	0.490
232/3	0.710	266/2	0.480
233	0.950	267/1	0.460
233/396/1	0.740	267/2	0.450
233/396/2	0.710	268/1	0.180
234/1	2.180	268/2	0.180
234/2	0.810	269	0.240
235	0.100	270	0.160
236	0.920	272/1	0.060
237	1.000	272/2	0.020
238	0.350	272/3	0.010

(1)	(2)	(1)	(2)
272/4	0.020	307	0.081
272/5	0.010	308	0.050
273/1	0.120	309	0.060
273/2	0.120	310/1	0.030
273/3	0.120	310/2	0.010
273/4	0.120	310/3	0.030
274/1	0.020	311/1	0.020
274/2	0.110	311/2	0.080
275	0.110	311/3	0.010
276/1	0.110	312/1	0.030
276/2	0.240	312/2	0.030
276/3	0.110	312/3	0.010
277	1.030	312/4	0.030
278	1.870	313	0.010
279	0.620	315/1	0.170
280	0.830	315/2	0.130
281	0.460	315/405/1	0.030
282	0.560	315/405/2	0.090
283	0.820	316	0.410
284	0.810	317	0.030
285	0.940	319/1	1.060
286	0.280	319/2	0.040
287	0.470	320/1	0.400
288	0.740	320/2	0.110
289	0.100	321	0.040
290	0.210	323	0.070
291	0.100	326	0.320
292	0.110	327	0.030
293	0.260	333	0.100
294	0.680	334	0.240
295	0.120	335	0.160
296	0.140	338	1.620
297	0.380	339/1	0.110
298	0.530	339/2	0.110
299	0.080	340	0.200
300	0.410	343	0.830
302	0.130	344	0.820
303	0.070	345	1.210
304	0.130	346	0.230
305	0.060	347	0.220
306	0.770	348	0.260

(1)	(2)	(1)	(2)
350	0.070	390/2	0.550
351/1	0.130	391	0.900
351/2	0.120	392/1	0.080
352	0.240	392/2	0.200
353	0.130	394/1	0.950
354	0.160	394/2	0.630
357	0.120	394/3 (ए)	0.320
358	0.070	394/3 (बी)	0.320
361	0.020	394/4	0.640
362	0.010	394/5	0.640
363	0.010	कुल योग . .	<u>215.640</u>
364	2.420		
365	2.260	(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता	
366	1.490	है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण	
367	0.870	हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर	
368	0.730	(म. प्र.).	
369	0.280		
370	0.050	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)	
371	0.300	एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल	
372	0.150	संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय	
373	1.020	में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
374	0.920		
375	1.080	प्र. क्र. 10274-प्र.क्र. 08-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 29 अ-	
376	1.010	82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है	
378	0.480	कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के	
380/1	0.380	खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.	
380/2	0.370	अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा	
380/3	0.370	6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की	
381/1	0.210	उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
381/2	0.210		
381/3	0.210		
381/399/1	0.340	अनुसूची	
381/399/2	0.330	(1) भूमि का विवरण—	
381/399/3	0.330	(क) जिला—सागर	
382/1	0.150	(ख) तहसील—बण्डा	
382/2	0.150	(ग) ग्राम—औड़ाहो, प.ह.नं. 117 खजरा भेड़ा	
382/3	0.150	(घ) लगभग क्षेत्रफल—168.130 हेक्टर.	
383	0.410	खसरा	अर्जित रकबा
384	0.570	नंबर	(हेक्टर में)
388/1	0.660	(1)	(2)
388/2	0.270	1/1	0.400
388/3	0.660	1/2	0.400
389	0.280	2/1	1.490
390/1	0.550		

(1)	(2)	(1)	(2)
2/2	0.500	53/3	0.340
3	1.370	53	0.250
4/1	0.310	57	0.040
4/2	0.300	61	0.060
6/1	0.300	62	0.620
6/2	0.300	63/1	0.250
7/1	0.250	63/2	0.400
7/2	0.250	68	0.500
10/1	0.160	70	0.170
10/2	0.170	71/1	0.180
11/1	0.430	71/2	0.180
11/2	0.420	73	0.350
16	2.250	84	0.550
17/2	1.000	85	0.250
19/1	1.850	98	0.090
19/2	1.230	100/1	0.600
20	1.000	100/2	0.480
21	1.030	100/3	0.220
22	0.200	100/4	0.230
24	0.460	100/5	0.220
25/1	1.200	100/6	0.400
25/2	0.790	102/1	0.400
26	0.620	102/2	0.400
26/576	0.430	104/1	0.220
27/1	0.610	104/2	0.450
27/2	0.610	105/1	0.300
28/1	0.090	105/2	0.300
28/2	0.100	106	0.460
29/1	0.400	107/1	0.190
29/2	0.960	107/2	0.200
30	0.360	108	1.040
32/1	0.320	110	2.030
32/2	0.080	112	1.200
38	0.160	116	1.350
39	0.130	117	0.500
40	1.400	120/1	0.070
42	0.200	120/2	0.070
44	0.110	122/1	0.150
47	1.710	122/2	0.210
49	0.630	123/1	0.220
50/1	0.150	123/2	0.210
50/2	0.140	123/3	0.190
52/1	0.340	124/1	0.060
52/2	2.160	124/2	0.070

(1)	(2)	(1)	(2)
125/1	0.110	280	0.070
125/2	0.100	281	0.190
126	0.120	282	0.080
127	0.130	283	0.070
128	0.070	284	0.330
129/2	0.400	285	0.700
129/3	0.360	289	0.030
131	0.200	286	0.180
133/1	0.210	309/1	0.010
155	0.200	309/2	0.010
168/1	0.020	313	0.050
168/2	0.020	314	0.030
170	0.800	317	0.010
172	0.170	318	0.040
173	0.130	319	0.040
174	0.020	320	0.030
175/1	0.010	321	0.080
175/2	0.030	322	0.040
177	0.050	325	0.130
178	0.020	326	0.040
193	0.040	327	0.020
234	0.190	329	0.040
237	1.310	330	0.040
238/1	0.310	331	0.040
238/2	0.320	332	0.100
239/1	0.080	337	0.020
240	0.840	345	0.030
241	0.620	346	0.050
262/1	0.010	347	0.030
262/2	0.010	350	0.020
264	0.030	352	0.020
265	0.120	353	0.130
267	0.250	355/1	0.010
268	0.100	355/2	0.010
269	0.160	357	0.050
270	0.380	358/1	0.020
271	0.120	358/2	0.020
272	0.470	359/1	0.060
273	0.100	359/2	0.060
274	0.100	360	0.020
275	0.040	361	0.070
276	0.040	362	0.010
277	0.060	363	0.060
278	0.040	364	0.220
279	0.100		

(1)	(2)	(1)	(2)
365/1	0.020	411	0.040
365/2	0.020	415	0.100
367	0.040	416/1	0.110
368/1	0.020	416/2	0.120
368/2	0.030	417	0.100
369/1	0.050	418	0.050
369/2	0.050	419	0.040
370	0.050	420	0.030
371	0.040	422	0.200
372	0.040	423	0.110
373	0.080	424	0.090
375	0.130	425	0.070
376	0.180	426	0.070
377/1	0.030	427	0.050
377/2	0.030	428	0.050
379	0.010	429	0.040
382/1	0.010	430	0.040
382/2	0.010	431	0.060
383/1	0.080	432	0.020
383/2	0.080	433	0.030
384/1	0.030	434	0.090
384/2	0.030	435	0.040
385/1	0.020	436	0.030
385/2	0.010	437	0.290
386/1	0.020	438	0.050
386/2	0.020	439	0.250
387	0.010	440	0.090
388	0.050	442	0.050
389	0.060	445	0.640
390	0.040	447/1	0.060
391	0.020	447/2	0.060
392	0.020	448/1	0.020
393	0.030	448/2	0.050
394	0.040	449/1	0.080
395/1	0.050	449/2	0.080
395/2	0.040	450/1	0.040
397/1	0.060	450/2	0.140
397/2	0.060	451/1	1.220
398	0.260	451/2	1.220
406	0.460	453	0.200
407/1	0.520	454	0.260
407/2	0.520	457	0.530
409	2.290	460	0.190
410	0.090	461	0.370
		462/1	1.290

(1)	(2)	(1)	(2)
462/2	2.000	499/4	0.130
462/3	0.400	499/5	0.140
463/1	0.950	500	0.140
463/2	0.950	504/1	0.750
464/1	0.180	504/2	0.750
464/2	0.540	505	1.130
465/1	0.120	506	1.040
465/2	0.120	508	0.010
466	1.180	509	1.510
468/1	0.420	510	0.920
468/2	1.220	511	1.040
469	0.660	512	0.890
470	0.480	513	0.800
471	0.350	514	0.820
472	0.300	515/1	0.600
475	0.300	515/2	0.600
477/1	0.160	516	0.770
477/2	0.160	518	2.560
478/1	0.220	519/1	0.350
478/2	0.220	519/2	0.360
479	1.790	520	1.370
480/1	0.670	521/1	0.340
480/2	0.680	521/2	0.340
481	0.500	522/1	0.340
484/1	0.120	522/2	0.320
484/2	0.110	523/1	0.530
488	0.340	523/2	0.530
489	0.650	524	0.370
490/1	0.560	525	2.010
490/2	0.570	526	0.680
491/1	1.150	527	0.330
492/1	0.400	528	0.080
492/2	1.650	529/1	0.700
493	0.920	529/2	0.700
494/1	0.260	532/1	0.950
494/2	0.260	532/2	0.150
494/3	0.820	532/3	0.800
496	1.150	534/1	0.590
497/1	0.370	534/2	0.740
497/2	0.300	535	2.110
497/3	0.430	536/1	0.090
499/1	0.050	536/2	0.090
499/2	0.070	537	1.950
499/3	0.140	538	0.200

(1)	(2)	(2)	
539	0.210	(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के पगरा बांध निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म.प्र.).	
540	0.340		
543	0.990		
544	1.850		
545/1	1.860		
545/2	0.390	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	
546	0.150		
547	0.450		
548	0.470		
549/1	0.660		
549/2	0.400		
550	0.980		
551	0.870		
552/1	2.520		
552/2	0.490		
553	0.580	क्र. क-10282-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 09-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 37 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	
554	1.600		
555	1.060		
556	0.450		
557/1	1.260		
557/2	1.270		
558/1	0.510		
558/2	1.320		
558/3	1.310		
558/4	0.800		
558/5	0.440	अनुसूची	
559/1	0.430		
559/2	0.430		
560/1	0.010		
560/2	0.010		
563/1	0.700		
563/2	1.600		
564	1.030		
565	1.440		
567	0.650		
570	0.740	(1) भूमि का वर्णन—	
571	1.260		
572	1.310		
573/1	1.020		
573/2	1.210		
574	2.490		
575	0.580		
776	0.210		
कुल योग . . .	168.130		
			(क) जिला—सागर
		(ख) तहसील—बण्डा	
		(ग) ग्राम—भेड़ाखास	
		(घ) लगभग क्षेत्रफल—43.590 हेक्टर. (निजी भूमि)	
		खसरा	अर्जित रकबा
		नंबर	(हेक्टर में)
		(1)	(2)
		291	0.190
		294	0.590
		304	0.030
		307	0.580
		309/1	1.570
		309/2	1.400
		309/3	0.770
		309/4	0.420
		310	1.160
		311	5.610
		313	0.100
		314	0.320
		315	0.310
		316	0.110

(1)	(2)	(1)	(2)
317	0.390	405	0.210
318	0.650	406	0.040
319	0.500	407	0.010
320	0.510	408	0.110
321	0.740	411	0.090
324	0.330	412	0.150
328	0.420	413	0.100
329	0.410	414	0.300
330/1	0.260	419	0.130
330/2	0.130	439	0.160
331	0.140	443	0.250
332	0.290	444	0.340
333	0.040	445	1.180
334	0.200	446/1	0.020
335	0.470	446/2	0.030
336	0.400	455	0.420
357	0.250	457/653	0.030
358	0.290	457/654	0.020
367	0.410	458/1	0.040
368/1	0.210	458/2	0.040
368/2	0.400	482/1	0.020
369	0.470	487	0.060
370	3.440	490	0.250
372	0.020	491	0.040
373	0.120	515	0.200
374	0.720	516	0.040
375	0.870	518/1	0.010
376	0.420	518/2	0.020
377	0.470	520	0.200
378	2.250	कुल योग . .	<u>43.590</u>
379	1.560		
381	0.260	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम
382	0.830		नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
384	1.640		कार्यपालन यंत्रि, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर
385	0.330		(म. प्र.).
386	0.600	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
387	0.600		एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्रि, जल
388	0.490		संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय
389	0.350		में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
392	0.040		
395	0.150		क्र.-क-10279-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 10-अ-82-11-12-
396	0.830		न्याया.क्ले. 36 अ-82-12-13—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का
397	0.700		समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित
398	0.060		भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन
399	1.260		के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर

(ख) तहसील—बण्डा

(ग) ग्राम—खजरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—70.59 हेक्टर (निजी भूमि)

खसरा

अर्जित रकबा

नंबर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

17

0.020

18

0.150

19

0.070

20

0.040

21

0.230

22

0.120

23

0.040

24

0.710

25

0.080

26

1.030

27

0.960

28

1.440

29

0.010

30

0.030

31/1

0.140

31/2

0.130

32

0.060

33

0.010

48

0.030

49

0.080

54/1

3.180

54/2

1.920

54/3

1.920

54/4

1.900

55

8.060

56

0.690

57

1.260

59

0.260

60/1

3.120

60/2

1.280

60/3

1.280

60/4

1.320

60/5

1.800

(1)

(2)

60/6

1.800

60/7

1.800

60/8

1.800

61

0.300

63

0.400

64

0.180

65

0.030

66

0.100

67

2.100

68

0.340

69/1

1.610

69/2

0.800

70

0.630

71

0.110

72

0.320

73

2.160

74

0.360

75

0.370

76

3.680

77

0.560

78

0.460

79

0.210

80

0.140

81

0.110

83

1.650

84

1.820

85

0.880

86

0.120

87

0.180

88/1

1.040

88/2

0.040

94

0.830

96

0.360

97

0.960

100

0.010

101

0.850

102

0.490

103

1.420

104

1.800

107

0.280

108/1

0.690

108/2

0.690

109

0.960

110

1.090

113

0.690

कुल योग . . . 70.59

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर (म. प्र.).	(1)	(2)
	274	0.120
	275	0.310
	276	0.200
	277	1.440
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.	283	0.020
	286	0.020
	289	0.410
	290	0.280
	291	0.030
क्र.-क-10276-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र. 11-अ-82-11-12-न्याया.क्ले. 32 अ-82-12-13—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—	293	0.070
	294	0.030
	296	1.220
	297	0.450
	298/1	1.110
	298/2	1.120
	299	1.400
	301	0.100
	302	0.060
	303	0.090
	304	0.060
(1) भूमि का विवरण—	305	1.280
(क) जिला—सागर	307	0.470
(ख) तहसील—शाहगढ़	309	1.390
(ग) ग्राम—सांदागिर	310	1.040
(घ) लगभग क्षेत्रफल—55.810 हेक्टर (निजी भूमि)	311	0.310
	312	0.330
	313	1.220
खसरा	314	0.660
नंबर	315	0.680
(1)	316	0.590
	317	0.440
153	318	0.700
154	319	0.520
155	320	1.710
156	321	0.050
161	323	0.400
162	324	0.070
186	325	0.520
189	326	0.440
190	327	0.780
191	328	0.180
193	329	1.350
197	332	1.470
198	333	0.430
199	334	0.600
273	335	0.660

(1)	(2)	(1)	(2)
336	0.080	507	0.150
337	0.030	508	0.090
460/2	0.050	510	0.670
460/3	0.050	511	0.400
460/4	0.050	512	1.690
460/5	0.050	513	0.500
460/6	0.050	513/1	0.490
460/7	0.030	513/2	0.500
460/8	0.110	514	0.250
460/9	0.070	515	0.260
460/10	0.050	516	0.370
460/11	0.150	517	0.280
460/12	0.120	518	0.510
460/13	0.300	519	0.450
462	0.480	520	0.290
463	0.450	521	0.260
469	0.300	522	0.260
470	0.190	523	0.280
480	1.340	524	0.090
481	0.650	525	0.090
482	0.610	527	0.110
483/1	1.440	528	0.200
483/2	0.400	529	0.010
484	1.710	530	0.660
486	0.180	531	0.330
487	0.180	532	0.250
489	0.200	533	0.990
490	0.390	534	0.210
491	0.690	535	0.240
492	1.320	536	0.700
493	0.220		<u>कुल योग . . . 55.810</u>
494	0.260		
495	0.820	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि की आवश्यकता है—पंचम
496	0.130		नगर मध्यम परियोजना के शीर्ष कार्य निर्माण हेतु
497	0.100		कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, सागर
498	0.130		(म. प्र.).
499	0.180		
500	0.050	(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व)
501	0.820		एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल
502	0.150		संसाधन संभाग क्र.-2 सागर, जिला सागर के कार्यालय
503	0.130		में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.
504	0.090		
505	0.210		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
506	0.200		योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

(1)

(2)

1189/1

0.025

119

0.288

योग . . . 3.633

छतरपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

प्र. क्र. 05-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—कटहरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—3.633 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1189/2/2	0.122
1210/2	0.278
182/1	0.216
1119	0.202
1212	0.112
1208/1	0.048
193	0.072
181	0.224
183	0.112
185	0.240
1209/1	0.173
1189/2/1	0.195
186	0.024
1120/2	0.643
1140/3	0.077
1144/1	0.010
121	0.044
122	0.010
120	0.072
126	0.216
1144/2	0.230

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 08-अ-82-2011-12.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—लवकुशनगर
(ग) ग्राम—शहपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—7.517 हेक्टर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
172	0.120
32/1	0.285
32/2	0.252
145	0.576
130 शा.नं. 142	0.090
29	0.096
30	0.216
71	0.220
105	0.148
31	0.206
138 शा.नं. 139	0.350
178/1 शा. नं. 179,180	0.336
143	0.427
177	0.360
52	0.182
68	0.345

(1)	(2)	(1)	(2)
181	0.283	139	0.005
173	0.166	142/1/2	0.128
103	0.201	151/17	0.147
106	0.045	170/1	0.032
49 शा.नं. 50	0.096	169/1	0.045
51	0.596	135/1/1	0.005
69 शा. नं. 70	0.269	151/14	0.023
72/1	0.068	173/1	0.077
75/2	0.317	97	0.084
141	0.293	151/10	0.128
144	0.350	136/13	0.065
146	0.010	151/15	0.023
170	0.480	171	0.128
171	0.134	316/7	0.122
योग . . .	<u>7.517</u>	89/1	0.079
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य/शाखा नहर हेतु.		103/1	0.032
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.		103/2	0.038
		136/2/2/1	0.083
		151/11	0.128
		151/12	0.023
		136/1/घ	0.070
प्र. क्र. 20-अ-82-2011-12.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—		143/2/3/2	0.269
		169/2	0.038
		170/2	0.032
		135/3/2/2	0.088
		142/2	0.115
		138/5	0.173
		105/1/1	0.110
		136/9/2	0.058
(1) भूमि का वर्णन—		151/16	0.024
(क) जिला—छतरपुर		151/13	0.023
(ख) तहसील—लवकुशनगर		136/8	0.096
(ग) ग्राम/नगर पंचायत—लवकुशनगर		105/1/2	0.063
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—33.417 हेक्टर.		106/2	0.083
		316/3/1	0.173
खसरा नं.	अर्जित रकबा	172	0.128
	(हेक्टेयर में)	135/3/2/1	0.088
(1)	(2)	136/3	0.250
316/10	0.198	316/2/5	0.192
89/2	0.260	136/14/1	0.122
142/1/1	0.045	143/2/1	0.314

(1)	(2)	(1)	(2)
95	0.179	3199/1	0.048
96/2	0.122	3199/3	0.077
99	0.020	3200/2	0.033
100	0.044	3200/3	0.035
101/2	0.147	3201/3	0.158
136/1ख	0.070	3207/3	0.032
174/1	0.154	3209	0.098
174/2	0.115	3211/1	0.025
316/9	0.192	3211/3	0.020
169/3	0.019	3212/1	0.110
170/3	0.026	3214/1	0.172
3166	0.230	3214/2	0.010
3211/2	0.005	3215/1	0.042
3886	0.012	3215/2	0.134
2921	0.245	3293	0.160
2922	0.048	3292/2	0.102
2888	0.259	3237/1	0.153
2889/3	0.048	3237/2	0.026
2881	0.180	3291	0.090
2892	0.182	3240	0.163
2893	0.648	3241	0.158
2880/2	0.005	3242	0.010
2900	0.070	3243/4	0.056
2901	0.202	3243/1	0.020
3167	0.040	3244	0.245
2994/2	0.058	3245	0.044
3004	0.303	3246	0.123
3005	0.015	3424/1	0.144
3010	0.170	3425	0.087
2923/1	0.202	3426/1	0.280
3015	0.028	3428/1	0.072
3014	0.080	3428/2	0.126
3012	0.285	3826/1	0.134
3011	0.210	3826/2	0.078
2992	0.044	3826/3	0.078
2993	0.053	3828	0.015
3172/1	0.144	3832	0.010
3172/2	0.040	3834	0.130
3165	0.130	3835	0.030
3173	0.158	3836/2	0.220
3174	0.043	3862	0.140

(1)	(2)	(1)	(2)
3863	0.130	1594	0.216
3865	0.010	1503	0.092
3868	0.298	1502	0.009
3867	0.190	1640	0.289
3869	0.015	1641	0.030
3883	0.140	1642	0.124
3884	0.096	1678	0.037
3887	0.230	1679	0.100
3900/1	0.020	1677	0.080
3900/2	0.328	1681	0.271
3902/1	0.201	1682	0.020
3903	0.098	1644	0.296
3904/1	0.005	1645	0.034
3909	0.125	1646	0.239
2994/1	0.010	1658	0.169
3002/1	0.010	1663	0.291
3000/3	0.005	1683	0.173
3967/2930	0.158	1684	0.136
3200/1/2	0.018	1693	0.252
509	0.004	1694	0.210
2090	0.012	2741	0.072
2038	0.005	1834	0.085
1586/8	0.008	1835/1	0.301
497	0.010	1588/1	0.214
499	0.029	2027	0.107
426/2	0.371	2006	0.052
428/4	0.004	2007	0.236
428/5	0.040	2005/1/1	0.084
427	0.252	2005/1/2	0.009
506	0.140	2005/2	0.042
507	0.391	2005/3	0.053
508	0.147	2026	0.009
511	0.063	2121/2	0.381
512	0.205	2118/2/2	0.170
583	0.322	2743	0.283
2215	0.218	2744	0.218
2216	0.066	2745/2746/1	0.489
1591/3974	0.186	2745/2746/2	0.048
1582/1/1	0.053	2753	0.463
1580/1/1/2	0.105	2777,2776,2777	0.460
1593	0.099	(शा.नं.) 2776	

(1)	(2)	(1)	(2)
2779	0.245	2089	0.066
2780	0.163	2088	0.104
2818	0.010	2091	0.005
2819	0.184	2084	0.045
2820	0.163	2085	0.063
2821	0.048	2075	0.015
2848/2	0.024	2074	0.067
2809/1	0.280	2073	0.051
2809/2	0.280	2072	0.018
2850	0.008	2071	0.053
2853	0.224	2070	0.079
2854	0.170	2069	0.048
2855	0.274	2068/2	0.088
2864	0.021	2023	0.080
3167	0.082	2021	0.004
2869	0.178	2029	0.030
2870	0.235	2025	0.061
2896/1	0.168	2028	0.061
2896/2	0.098	2896/3	0.015
2895/1	0.127	2898	0.203
2895/2	0.127	2901	0.350
2899	0.015	1587/1	0.130
1847	0.060	1587/2	0.130
1848/1	0.084	1581	0.247
1845	0.069	1664/1/1	0.038
1836/1/1	0.005	1680	0.176
1837	0.008	2851	0.039
494/1	0.459	1471	0.045
495/1	0.080	2852	0.015
495/2	0.080	3243/3	0.010
496/1	0.166	1844	0.057
496/2	0.166		योग . . . 33.417
488/4/1	0.070		
488/4/2	0.070		
481/2+3	0.063		
456/1	0.029		
453/4	0.272		
2224/2	0.008		
2224/1	0.360		
2225/3964	0.530		
2116	0.140		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजनांतर्गत मुख्य नहर/शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश बहुगुणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. C-8787-दो-3-75-2009.—श्री बी. एस. भदौरिया, रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 के एक दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 7 नवम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. C-9020-दो-2-20-06.—श्री के. एस. ठाकुर, जिला न्यायाधीश (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2012 तक दो दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 नवम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. A-2813-दो-2-6-2012.—श्री बी. बी. शुक्ला, ए. डी. जे./ओ. एस. डी. (सतर्कता एवं निरीक्षण), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 18 से 19 अक्टूबर 2012 तक, दो दिवस के आकस्मिक अवकाश (दिनांक 20 अक्टूबर 2012 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश) के साथ एल. टी. सी. सुविधा

का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 29 अगस्त 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6157-दो-2-09-2012.—श्री नवीन कुमार सक्सेना, रजिस्ट्रार (न्यायिक), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 से 1 नवम्बर 2012 तक चार दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 3 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. C-8567-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक, पांच दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. D-6069-दो-2-80-2006.—श्री ए. एच. एस. पटेल, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य

विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2007 से 31 अक्टूबर 2009 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये अर्जित अवकाश की पात्रतानुसार उन्नीस दिवस को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-6071-दो-2-29-2008.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 23 अक्टूबर 2010 से 22 अक्टूबर 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तेईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2012

क्र. D-6084-दो-2-60-2009.—श्री अभिनन्दन कुमार जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बैतूल को दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2011 से वर्ष 2014 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 5 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6086-दो-3-117-2009.—श्री एच. पी. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को दिनांक 29 अक्टूबर 2012 का एक दिन का ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 अक्टूबर 2012 तक, दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 9 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6088-दो-2-26-2012.—श्री हरिशंकर वैश्य, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 24 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 17 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6118-दो-2-51-2010.—श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) के अंतर्गत दिनांक 17 अगस्त 2010 से 18 अगस्त 2012 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिये तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. C-8995-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पांच दिवस का अर्जित अवकाश के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2009 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब (एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 8 अक्टूबर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2012

क्र. A-2803-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 अक्टूबर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2805-दो-2-3-2008.—श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एच. सी. शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़-ब्यावरा को राजगढ़-ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. सी. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2807-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 23 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2809-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 16 से 24 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 25 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2811-दो-2-18-A-2009.—श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को दिनांक 20 से 22 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए 3 दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2815-दो-2-20-2005.—श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. पालीवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. के. पालीवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2817-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 24 से 29 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, छः दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अति. प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2819-दो-3-26-2002.—श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. के. जैन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2821-दो-2-11-2004.—श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 23 से 25 अगस्त 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आराधना चौबे, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आराधना चौबे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती।

क्र. A-2823-दो-2-5-2006.—श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 21 सितम्बर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती जयश्री वर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती जयश्री वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6153-दो-2-21-2005.—श्री उल्लास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक, पाँच दिवस के अर्जित अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 29 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6155-दो-2-33-2010.—श्री रणजीत सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 8 से 12 अक्टूबर 2012 तक पाँच दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2007 से वर्ष 2011 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस (केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3-(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड) एवं समसंख्यक

ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अन्तर्गत उनके आवेदन-पत्र दिनांक 26 सितम्बर 2012 के अनुसार प्रदान की जाती है।

क्र. D-6190-दो-2-21-2005.—श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 27 से 28 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके दो दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री उल्हास बापट, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री उल्हास बापट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2012

क्र. A-2865-दो-2-27-2011.—श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :—

- (1) दिनांक 13-12-2012 से दिनांक 20-12-2012 तक 8 दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।
- (2) दिनांक 17-12-2012 से दिनांक 22-12-2012 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जे. पी. माहेश्वरी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जे. पी. माहेश्वरी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2874-दो-3-65-2002.—श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 17 से 18 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. जैन, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2876-दो-2-19 ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. A-2878-दो-2-15-2012.—श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को दिनांक 3 से 6 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अक्टूबर 2012 के एवं पश्चात् में दिनांक 7 अक्टूबर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेन्द्र सिंह रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2891-दो-2-15-2008.—श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 16 से 20 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 21 से 27 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अंजुली पालो, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अंजुली पालो, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6242-दो-3-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 10 से 14 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 से 9 सितम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6244-दो-2-05-2011.—सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 1 से 5 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री प्रतिभा रत्नपारखी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6255-दो-3-47-2003.—श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 29 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 से 9 दिसम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री शिवनारायण खरे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री शिवनारायण खरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6257-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 से 9 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6259-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 3 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में

दिनांक 4 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. D-6261-दो-2-19-ए-2009.—सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 16 से 19 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर सुश्री भारती बघेल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री भारती बघेल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-6263-दो-2-41-2010.—श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दिनांक 3 से 12 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6265-दो-2-32-2011.—श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. पाण्डेय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6267-दो-2-30-2012.—श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 16 से 17 नवम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 से 15 नवम्बर 2012 तक एवं पश्चात् में दिनांक 18 नवम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री पी. एस. कुशवाह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. एस. कुशवाह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6269-दो-2-11-2011.—श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को दिनांक 1 से 7 अक्टूबर 2012 तक, सात दिन का कम्प्यूटेड अवकाश तथा दिनांक 8 अक्टूबर 2012 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम कुमार मण्डलोई, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी को बड़वानी पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड/अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-6271-दो-2-45-2011.—श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 1 से 12 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए बारह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मीना भट्ट, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मीना भट्ट, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. डी-5740-तीन-10-42-75 (ग्वालियर-भितरवार).—उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक सी-1690-तीन-10-42-75 (ग्वालियर-भितरवार), दिनांक 22 जुलाई 2009 जहां तक कि उसका संबंध व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, डबरा की श्रृंखला न्यायालय, भितरवार से है, को एतद्वारा वापस लिया जाता है।

No. D-5740-III-10-42-75 (Gwalior-Bhitarwar).—High Court Notification No. C-1690-III-10-42-75 (Gwalior-Bhitarwar), dated 22nd July 2009, so far as it relates to holding of Link Court of Civil Judge Class-II Dabra to Bhitarwar, is hereby stands withdrawn.

जबलपुर, दिनांक 7 दिसम्बर 2012

क्र. डी-6062-तीन-10-42-75 (देवास-कन्नौद).—मध्यप्रदेश सिविल कोर्ट एक्ट, 1958 (अधिनियम क्रमांक 19 सन् 1958) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय अपनी अधिसूचना क्रमांक बी-870, दिनांक 3 अप्रैल 2012 को माह दिसम्बर, 2012 में निलंबित करते हुए एतद्वारा श्री अनिल कुमार भाटिया, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बागली को माह दिसम्बर, 2012 में श्रृंखला न्यायालय कन्नौद में की जाने वाली बैठकों एवं कार्य को निलंबित रखे जाने का निर्देश देता है।

No. D-6062-III-10-42-75 (Dewas-Kannod).—In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Civil Court Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Madhya Pradesh suspends its Notification No. B/870, dated 3rd April 2012 for the month of December, 2012 and hereby directs Shri Anil Kumar Bhatiya, Addl. Distt. & Session Judge, Bagli to suspend sitting & work of Link Court, Kannod in the month of December 2012.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
अभय कुमार, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 नवम्बर 2012

क्र. C-8563-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 3 से 5 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ. एस. डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-8565-दो-3-130-2009.—श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इन्दौर को दिनांक 10 से 13 सितम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8 तथा 9 सितम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. व्ही. मण्डलोई, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. व्ही. मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 1 दिसम्बर 2012

क्र. C-8723-दो-3-102-2000.—श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 से 15 अक्टूबर 2012 तक के एवं पश्चात् में दिनांक 20 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री बी. डी. राठी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय ग्वालियर खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. डी. राठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 4 दिसम्बर 2012

क्र. C-8785-दो-2-16-2011.—श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 21 से 23 दिसम्बर 2012 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 24 से 29 दिसम्बर 2012 तक छह दिन का शीतकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 दिसम्बर 2012 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री श्याम बिहारी वर्मा, रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्याम बिहारी वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड लेबर ज्युडिशियरी) के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2012

क्र. A-2759-दो-3-103-2008.—श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इंदौर खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 16 से 19 अक्टूबर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 13, 14 तथा 15 अक्टूबर 2012 के तथा पश्चात् में दिनांक 20 से 28 अक्टूबर 2012 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एम. एच. कार्निक, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय इन्दौर खण्डपीठ, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एच. कार्निक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2012

क्र. D-6382-दो-2-33-2012.—श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2012 तक दोनों दिन सम्मिलित करके चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजकुमार यादव, ओ.एस.डी., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजकुमार यादव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ.एस.डी. के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
एस. के. साहा, रजिस्ट्रार.

Jabalpur, the 5 December 2012

No. A-2755-II-15-50-87-V.—Pursuant to the order dated 13th August 2012 passed in the matter of Shramik Adivasi Sanghathan Vs. State of M.P. & others SLP to Appeal Civil No. 15115/2011 directing constitution of District Level Grievance Redressal Authority for District Betul, Harda & Khandwa & in view of the Notification of the State Government, Department's of Home No. 21-225-2011-B(1)-II, dated 29th August 2012 Hon'ble the Chief Justice hereby nominates Chairpersons of District Level Grievance Authority as under:—

S. No. (1)	Name of District (2)	Name of Retired District Judge/Additional District Judge (3)
1.	Betul	Shri Ankit Swami Naidu, Retd. District Judge, House No. 216 Ward No. 24 South Civil Lines, Chhindwara (M.P.) 480001 (Mob. No. 9407331112).
2.	Harda	Shri K. P. Tiwari, Retd. Additional District Judge, Labour Court Campus, Gulabra Ward, Chhindwara Ph. No. 07162-245815, Mob. No. 9425467351.
3.	Khandwa	Shri R. P. Solanki, Retd. Additional District Judge, HIG-2E, Mukhargee Nagar, Dewas (M.P.)

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 1150-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्न सारणी के स्तम्भ (2) में उल्लेखित उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी को, निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में अंकित स्थान से स्थानांतरित कर, स्तम्भ (4) में अंकित स्थान पर एवं स्तम्भ (5) में उल्लेखित पद पर, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करते हैं :—

सारणी

क्र. (1)	नाम (2)	कहां से (3)	कहां को (4)	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी (5)
1.	श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास	देवास	जबलपुर	संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से श्री मनोहर ममतानी के स्थान पर.
2.	श्री मनोहर ममतानी, संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर.	जबलपुर	देवास	जिला एवं सत्र न्यायाधीश की हैसियत से श्री चन्द्रहास सिरपुरकर के स्थान.
3.	श्री गजेन्द्र सिंह, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आष्टा, जिला सीहोर.	आष्टा	जबलपुर	संकाय सदस्य (Faculty Member) न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से नवनिर्मित पद पर.

टिप्पणी.— (1) श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास, अपने नवीन पद संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर के पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर की हैसियत से पदभार ग्रहण करेंगे. तत्पश्चात् वे संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करेंगे.

(2) श्री मनोहर ममतानी, संचालक न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर अपने वर्तमान पद से, श्री चन्द्रहास सिरपुरकर, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर द्वारा संचालक, न्यायिक अधिकारी प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जबलपुर का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात्, अपने नवीन पद जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यभार मुक्त होंगे.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2012

क्र. 1152-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-ए).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, निम्नलिखित जिला एवं सत्र न्यायाधीश को निम्न सारणी के स्तम्भ (3) में निर्दिष्ट स्थान से स्तम्भ (4) में निर्दिष्ट स्थान में स्थानांतरित कर स्तम्भ (6) में निर्दिष्ट सिविल जिले के लिये जिला न्यायाधीश की हैसियत से उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ करता है. साथ ही दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 9 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते

हुए, उन्हें उनके नाम के समक्ष सारणी के स्तम्भ (5) में निर्दिष्ट सत्र खण्ड के लिये उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सत्र न्यायालय में सत्र न्यायाधीश की हैसियत से नियुक्त करता है :—

क्रमांक	नाम	कहाँ से	सारणी कहाँ को	पदस्थापना के जिले का नाम	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री दिनेश कुमार नायक, प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मुँरैना.	मुँरैना	मुँरैना	मुँरैना	सिविल जिला, मुँरैना. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुँरैना की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.
2	श्री बृज किशोर श्रीवास्तव, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर के पद से प्रतिनियुक्ति से लौटने पर.	छतरपुर	दमोह	दमोह	सिविल जिला, दमोह. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह की हैसियत से श्री जे. पी. महेश्वरी के स्थान पर.

जबलपुर, दिनांक 3 नवम्बर 2012

क्र. 1063-गोपनीय-2012-दो-2-1-2012 (भाग-बी).— भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय निम्न सारणी के स्तम्भ क्रमांक (2) में उल्लिखित न्यायिक अधिकारी को उनके नाम के समक्ष उक्त सारणी के स्तम्भ क्रमांक (3) में दर्शाये अनुसार उल्लिखित न्यायालय के न्यायाधीश, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है:—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	सारणी	न्यायालय में पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(3)
1	श्री सतीश चन्द्र शर्मा, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर.	अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायालय क्रमांक 3, विद्युत् अधिनियम, 2003, ग्वालियर की हैसियत से रिक्त न्यायालय में.	

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सुभाष काकडे, रजिस्ट्रार जनरल.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट), जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 नवम्बर 2012

क्र. 364-स्था.सैट-2012.— श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 3 से 7 सितम्बर 2012 तक कुल पांच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी दर से देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निजी सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. क्योंकि अवकाश पर गयी है. अतः अवकाश अवधि दिनांक 3 सितम्बर 2012 से 7 सितम्बर 2012 को मूलभूत नियम 26(ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

जबलपुर, दिनांक 3 दिसम्बर 2012

क्र. 383-स्था.सैट-2012.— श्रीमती एम. जिल्ला, निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर को दिनांक 5 से 9 नवम्बर 2012 तक कुल छः दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही सार्वजनिक अवकाशों के प्रारंभ एवं अंत में जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाशकाल में श्रीमती जिल्ला को अवकाश वेतन तथा भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व देय थे.

उक्त अवकाश से लौटने पर श्रीमती एम. जिल्ला को अस्थायी-रूप से निजी सचिव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इन्दौर के पद पर आगामी आदेश तक पुनः पदस्थ किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती जिल्ला अवकाश पर नहीं जातीं तो निज सचिव के पद पर कार्य करती रहतीं. चूंकि अवकाश पर गयी है. अतः अवधि दिनांक 5 नवम्बर 2012 से 9 नवम्बर 2012 को मूलभूत नियम 26(ब)(2) के अनुसार वेतनवृद्धि के लिये गिनी जावेगी.

देवेश चतुर्वेदी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा).

राज्य शासन के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 22 दिसम्बर 2012

क्र. 9321-दस-भू-अर्जन-2012 .—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	जैतहरी	24.749	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये कोयला आपूर्ति हेतु रेलवे लाइन एवं साइडिंग निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>24.749</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9322-दस-भू-अर्जन-2012 .—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	गुंवारी अमगवां	0.581 2.756	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये ऐश पाइप लाइन निर्माण हेतु.
		योग . .	<u>3.337</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

क्र. 9323-दस-भू-अर्जन-2012 .— चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि लोक हित में नीचे वर्णित अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दर्शाये अनुसार ताप विद्युत् परियोजना के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (क) के उपबंध एवं भू-अर्जन से संबंधित अन्य नियम एवं प्रक्रिया उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अनूपपुर	जैतहरी	क्योंटार	67.170	भू-अर्जन अधिकारी, अनूपपुर	एम.बी. पावर (म. प्र.) लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट के लिये जल आपूर्ति हेतु सोन नदी पर बराज निर्माण तथा डूब क्षेत्र हेतु.
		चोलना	1.320		
		कुकुरगोड़ा	1.214		
		रोहिलाकछार	26.757		
	अनूपपुर	कुसुमहाई	20.717		
		धुरवासिन	51.987		
		कोटमी	2.830		
		पड़ौर	7.313		
		योग . .	179.308		

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, अनूपपुर/अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, जैतहरी/अनूपपुर, जिला अनूपपुर के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल

राजभवन, भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2012

आदेश

क्र. एफ-1-4-12-रा.स.यू.ए.1-1920.—राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1998 (क्रमांक 13 सन् 1998) की धारा 12 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, राम नरेश यादव, कुलाधिपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल, एतद्वारा डॉ. पियूष त्रिवेदी, पूर्व कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से चार वर्ष की कालावधि के लिये राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल का कुलपति नियुक्त करता हूँ.

2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम-4 के अनुसार शासित होंगी.

राम नरेश यादव, कुलाधिपति.